

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**



**लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा**  
**Dedicated to Truth in Public Interest**

**संघ सरकार**  
**राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर**  
**2021 की प्रतिवेदन संख्या 8**



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**

**संघ सरकार  
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर  
2021 की प्रतिवेदन संख्या 8**

\_\_\_\_\_को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया



## विषय सूची

विषय	पृष्ठ
<b>प्राक्कथन</b>	<b>i</b>
<b>मुख्य बातें</b>	<b>iii-vi</b>
<b>अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन</b>	<b>1-18</b>
i. प्रत्यक्ष कर	1
ii. संगठनात्मक संरचना	1-2
iii. संघ सरकार के संसाधन	3-4
iv. प्रत्यक्ष कर - प्रवृत्ति तथा संरचना	4-8
v. प्रतिदायों की प्रवृत्ति	9-10
vi. कर प्रशासन प्रक्रिया	10-12
vii. प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग	12-13
viii. कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव	13-15
ix. कर ऋण - असंग्रहित मांग	15-16
x. मुकदमेबाजी प्रबंधन	16-17
xi. कर अपवंचन	17
xii. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	18
<b>अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव</b>	<b>19-29</b>
i. प्राप्तिर्यों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार	19
ii. प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता	19-21
iii. ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ का विश्लेषण	21-25
iv. लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	25-29
v. लेखापरीक्षा की सिफारिश पर वसूली	29
<b>अध्याय III: निगम कर</b>	<b>31-57</b>
i. परिचय	31
ii. निर्धारण की गुणवत्ता	31-39
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	39-48
iv. त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय	48-55
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	56-57
<b>अध्याय IV: आयकर</b>	<b>59-81</b>
i. परिचय	59
ii. निर्धारण की गुणवत्ता	59-70
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	70-75
iv. त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय	75-79
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	79-80
vi. सिफारिशें	80-81
<b>परिशिष्ट</b>	<b>83-86</b>
<b>संक्षिप्त रूप</b>	<b>87-88</b>



## प्राक्कथन

मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष करों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वह मामले उल्लिखित हैं जो 2019-20 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे मामले भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; जहाँ आवश्यक समझा गया वहां 2019-20 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।





## मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर के प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं पर यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा सम्बद्ध नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के अनुपालन की प्राथमिक रूप से चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में चार अध्याय सम्मिलित हैं जिनकी मुख्य बातों की चर्चा नीचे की गई है:

### अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2019-20 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 10,50,686 करोड़ थीं, जिसमें वि.व. 2018-19 (₹ 11,37,718 करोड़) की तुलना में 7.6 प्रतिशत की कमी हुई। प्रत्यक्ष कर वि.व. 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 5.2 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का भाग वि.व. 2018-19 में 54.7 प्रतिशत से घटकर वि.व. 2019-20 में 52.3 प्रतिशत हो गया।

वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी के बावजूद, जारी किए गए प्रतिदायों में वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटकों में से, निगम कर से संग्रहण वि.व. 2018-19 में ₹ 6.63 लाख करोड़ से 16.1 प्रतिशत घटकर वि.व. 2019-20 में ₹ 5.57 लाख करोड़ हो गया। आयकर से संग्रहण वि.व. 2018-19 में ₹ 4.62 लाख करोड़ से 4.0 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2019-20 में ₹ 4.80 लाख करोड़ हो गया।

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या 3.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2018-19 में 6.20 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2019-20 में 6.39 करोड़ हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या 0.9 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए वि.व. 2018-19 में 8.46 लाख से घटकर वि.व. 2019-20 में 8.38 लाख हो गई।

बकाया मांग वि.व. 2018-19 में ₹ 12.3 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2019-20 में ₹ 16.2 लाख करोड़ हो गई। निवल संग्रहणीय मांग वि.व. 2018-19 में ₹ 14,593 करोड़ की तुलना में वि.व. 2019-20 में

₹ 38,734 करोड़ तक बढ़ गई। विभाग ने दर्शाया कि 97.6 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलों की संख्या वि.व. 2018-19 में 3.4 लाख से बढ़कर वि.व. 2019-20 में 4.6 लाख हो गई। इन मामलों में अवरूद्ध राशि वि.व. 2019-20 में ₹ 8.8 लाख करोड़ थी।

सीबीडीटी ने, विभाग द्वारा आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को क्रमशः ₹ 20 लाख से ₹ 50 लाख, ₹ 50 लाख से ₹ एक करोड़ और ₹ एक करोड़ से ₹ दो करोड़ तक बढ़ा दिया। कुल लंबित मामले वि.व. 2018-19 में 1.35 लाख से वि.व. 2019-20 में 1.24 लाख हो गए यानी मामलों में 8.1 प्रतिशत की मामूली कमी हुई थी।

## अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार की सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों तथा क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है तथा उनका विधिवत् पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है।

हमने वि.व. 2019-20 के दौरान कुल 6,249 निर्धारण इकाईयों में से 1,888 की लेखापरीक्षा की थी तथा 16,193 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जारी किया था। हमने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले से ही जांच किए गए 805 निर्धारणों में भी त्रुटियां पाईं।

आयकर विभाग से उत्तर की प्रतीक्षा में 31 मार्च 2020 तक ₹ 1.31 लाख करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 54,177 लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां थीं।

हमने अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान मंत्रालय तथा सीबीडीटी को 577<sup>1</sup> उच्च कीमत वाले मामले जारी किए जिसमें उसकी प्राप्ति के छह सप्ताह के अंदर उनका उत्तर मांगा गया। तथापि, हमने मंत्रालय/सीबीडीटी से केवल 43 उच्च कीमत वाले मामलों में उत्तर प्राप्त किए (जुलाई 2021)।

जिनमें से आयकर विभाग द्वारा ₹ 3,597.06 करोड़ के कर प्रभाव वाले 491 मामलों (सभी मामलों के 85 प्रतिशत) पर सुधारात्मक कार्यवाई या तो पूरा कर दिया गया था या शुरू की गयी थी।

1 दो वित्तीय वर्षों के लिए कम निर्धारण तथा अधिक निर्धारण दोनों पर अभ्युक्तियों वाली एक डीपी है, इसलिए प्रतिवेदन के अन्य स्थानों पर दो मामलों के रूप में स्वीकार किया गया है।

वि.व. 2019-20 के दौरान हमारे द्वारा मांगे गए 2,79,939 अभिलेखों (6.92 प्रतिशत) में से 19,388 आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिनमें से उसी निर्धारिती से संबंधित 1,488 अभिलेख (1,479 तमिलनाडु के) तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विगत तीन वर्षों में, आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा के बताए जाने पर त्रुटियों में सुधार के लिए उठाई गई मांग से ₹ 525.98 करोड़ वसूल किए।

### अध्याय III: निगम कर

हमने ₹ 12,476.53 करोड़ के कर प्रभाव सहित निगम कर से संबंधित 356 उच्च मूल्य वाले मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जैसे.

- (क) निर्धारणों की गुणवत्ता (134 मामले);
- (ख) कर रियायतों/छूटों /कटौतियों का प्रशासन (157 मामले);
- (ग) चूकों के कारण निर्धारण से छूट गई आय (51 मामले) और
- (घ) कर/ ब्याज के अधिक प्रभार (14 मामले)।

उद्धृत 356 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, हमने, ₹ 3,976.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर निर्धारणों में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 38 उदाहरणों को निर्दिष्ट किया। इस अध्याय में निर्दिष्ट की गई अनियमितताओं में शामिल हैं: ₹ 1,262.76 करोड़ के कर प्रभाव वाले, संचालनों के छठे वर्ष में 50 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत की अस्वीकार्य दर पर निर्धारिती को अधिनियम की धारा 10ए के अन्तर्गत कटौती की गलत अनुमति; ₹ 774.72 करोड़ के कर प्रभाव वाले विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि (एफसीटीआर) के अन्तर्गत शेष के रूप में बैंकिंग कंपनी के मामलों में आय का निर्धारण न करना; ₹ 155.36 करोड़ (ब्याज छोड़कर) के कर प्रभाव वाले ₹ 467.70 करोड़ के शेयर प्रीमियम के बजाय अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट पर कर के उदग्रहण के लिए चूक; तथा निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए टीडीएस के कारण ₹ 1.01 करोड़ के उपलब्ध क्रेडिट के बजाए ₹ 65.66 करोड़ के पूर्व प्रदत्त करों की गलत अनुमति तथा ₹ 95.04 करोड़ कर प्रभाव वाले ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां।

#### अध्याय IV: आयकर

हमने ₹ 416.60 करोड़ के कर प्रभाव सहित आय कर के 222 उच्च मूल्य वाले मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जैसे.

- (क) निर्धारणों की गुणवत्ता (166 मामले);
- (ख) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन (18 मामले);
- (ग) चूकों के कारण निर्धारण से छूट गई आय (29 मामले) और
- (घ) कर/ ब्याज के अधिक प्रभार (9 मामले)।

उद्धृत 222 उच्च मूल्य के मामलों में से, हमने आयकर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 39 उदाहरणों को निदर्शित किया है जिसमें ₹ 251.85 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में शामिल हैं: ₹ 45.60 करोड़ के भुगतान नहीं किये गये करों का गलत अनुमोदन और ब्याज का गैर-उदग्रहण जिसमें ₹ 68.12 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था; देय तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल न करने, कर का कम भुगतान और अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण गलत ब्याज का आरोपण जिसमें ₹ 21.60 करोड़ का कम ब्याज शामिल था; ₹ 26.44 करोड़ की अग्रेषित हानि की गलत अनुमति जिसमें ₹ 12.32 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था; और ₹ 115.53 करोड़ की सही देय मांग के स्थान पर ₹ 103.22 करोड़ की देय मांग की गलत गणना जिसमें ₹ 12.31 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

## अध्याय 1: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

इस अध्याय में प्रत्यक्ष कर प्रशासन, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में राजस्व प्रवृत्तियों तथा आयकर विभाग (आईटीडी) में कर प्रशासन प्रक्रिया का एक अवलोकन दिया गया है।

### 1.1 प्रत्यक्ष कर

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रत्यक्ष करों का उदग्रहण तथा संग्रहण शामिल है। इस रिपोर्ट में शामिल प्रत्यक्ष करों पर नीचे चर्चा की गई है:

**क) निगम कर (सीटी):** निगम कर उद्यमियों द्वारा अपने कारोबार से बनाई गई निवल आय या लाभ पर लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है। कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत दोनों सार्वजनिक तथा निजी कंपनियां निगम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर उद्ग्रहीत किया जाता है।

**ख) आयकर (आईटी):** आयकर कम्पनियों के अलावा व्यक्तियों पर उनकी आय या अभिलाभ से बनाई गई निवल आय या लाभ पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है।

**ग) अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी):** निगम कर तथा आयकर के अलावा प्रत्यक्ष कर, उदाहरणतः प्रतिभूति लेन देन कर (एसटीटी)<sup>2</sup>, धन कर<sup>3</sup>, इत्यादि।

### 1.2 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है तथा सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों से संबंधित मामलों को केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत गठित दो सांविधिक बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) तथा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के माध्यम से समन्वय करता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्यक्ष करों के उदग्रहण तथा संग्रहण संबंधित मामलों को देखता है।


2 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर।

3 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

31 मार्च 2020 तक, आयकर विभाग (आईटीडी) की समस्त स्टाफ संख्या तथा कार्यरत संख्या क्रमशः 76,241<sup>4</sup> तथा 45,750 थी। अधिकारियों<sup>5</sup> की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या क्रमशः 10,858 तथा 9,333 थी। वर्ष 2019-20 के लिए आयकर विभाग का राजस्व व्यय ₹ 7,052 करोड़<sup>6</sup> था।

सीबीडीटी का संगठनात्मक ढांचा नीचे चार्ट 1.1 में दिया गया है:

चार्ट 1.1: सीबीडीटी के क्षेत्रीय गठन का संगठनात्मक ढांचा



- 4 आंकड़ों में (i) ईडीपी, (ii) ओएल (राजभाषा) डिवीजन, (iii) रिजर्व, (iv) अन्य पद तथा (v) सेन्ट्रल पूल (दिल्ली सीसीए के तहत) के तहत आवंटित पदों की स्वीकृत संख्या शामिल नहीं है।
- 5 प्रि.सीसीआईटी/प्रि.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्रि. सीआईटी/प्रि.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, एडिशनल सीआईटी/ एडिशनल डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी/डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओ
- 6 वि.व. 2019-20 के संघ वित्त लेखे।

### 1.3 संघ सरकार के संसाधन

1.3.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके उद्धृत सभी ऋण, आंतरिक व बाहरी ऋण तथा ऋणों की अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। नीचे तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2019-20 तथा वि.व. 2018-19 के लिए संघ सरकार के संसाधनों के ब्यौरे को दर्शाती है।

तालिका 1.1 संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)	
	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19
क. कुल राजस्व प्राप्तियां #	25,98,761	25,67,917
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	10,50,686	11,37,718
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां <sup>7</sup>	9,59,374	9,42,747
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	5,88,328	4,86,389
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	373	1,063
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियां <sup>8</sup>	50,349	94,979
ग. ऋणों और अग्रिमों की वसूली <sup>9</sup>	18,647	30,257
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां <sup>10</sup>	73,01,387	67,58,482
<b>भारत सरकार की प्राप्तियां (क + ख + ग + घ)</b>	<b>99,69,144</b>	<b>94,51,635</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे

नोट: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों तथा अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की सगणना संघ वित्त लेखे से की गई है।

# कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे सौंपे गए वि.व. 2019-20 में ₹ 6,50,677 करोड़ और वि.व. 2018-19 में ₹ 7,61,454 करोड़ शामिल हैं।

वि.व. 2019-20 में, भारत सरकार की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि द्वारा हुई थी। वि.व. 2019-20 में प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 40.4 प्रतिशत था जो पिछले वर्षों की प्राप्तियों की तुलना में 7.6 प्रतिशत कम था।

1.3.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

7 माल और सेवाओं पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केन्द्रीय माल और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर आदि;

8 इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

9 संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

10 भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधार;

तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन								
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर संग्रहण (₹ करोड़ में)				प्रतिदाय (₹ करोड़ में)	निम्न द्वारा दायर वास्तविक रिटर्न (संख्या लाख में)		राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)
	निगम कर	आयकर	अन्य प्रत्यक्ष कर	कुल		गैर-निगमित निर्धारिती	निगमित निर्धारिती	
2015-16	4,53,228	2,80,390	8,394	7,42,012	1,22,596	398.0	6.9	4,689
2016-17	4,84,924	3,40,592	24,285	8,49,801	1,62,582	436.9	7.1	5,623
2017-18	5,71,202	4,08,202	23,334	10,02,738	1,51,835	537.9	8.0	6,172
2018-19	6,63,571	4,61,652	12,495	11,37,718	1,61,037	619.8	8.5	7,168
2019-20	5,56,876	4,80,348	13,462	10,50,686	1,83,431	639.4	8.4	7,052

स्रोत: संघ वित्त लेखा और प्र. सीसीए; सीबीडीटी

वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 7.6 प्रतिशत तक कमी के बावजूद, वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 के दौरान जारी किए प्रतिदायों में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

#### 1.4 प्रत्यक्ष कर- प्रवृत्ति तथा संरचना

1.4.1 निम्न तालिका 1.3 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान सकल कर राजस्व<sup>11</sup> (जीटीआर) तथा एकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.3 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि					
वित्तीय वर्ष	डीटी	जीटीआर	जीडीपी	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में डीटी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डीटी
(₹ करोड़ में)					
2015-16	7,42,012	14,55,891	1,35,76,086	51.0	5.5
2016-17	8,49,801	17,15,968	1,51,83,709	49.5	5.6
2017-18	10,02,738	19,19,183	1,67,73,145	52.2	6.0
2018-19	11,37,718	20,80,465	1,90,10,164	54.7	6.0
2019-20	10,50,686	20,10,060	2,03,39,849	52.3	5.2

स्रोत: डीटी तथा जीटीआर-केन्द्रीय वित्त लेखा, जीडीपी- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी- 31 मई 2020 को सीएसओ द्वारा जारी प्रेस नोट

1.4.2 यद्यपि डीटी में वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में 7.6 प्रतिशत तक कमी हुई, जीटीआर में प्रत्यक्ष करों के भाग में वि.व. 2018-19

11 इसमें सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।



की तुलना में वि.व. 2019-20 में अल्प कमी (2.4 प्रतिशत) हुई थी। वि.व. 2017-18 तथा वि.व. 2018-19 में 6.0 प्रतिशत की तुलना में प्रत्यक्ष कर 2019-20 के दौरान जीडीपी का 5.2 प्रतिशत था।

**1.4.3** निम्न तालिका 1.4 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष करों तथा इसके प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) तथा आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.4 प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख घटकों की वृद्धि								
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	जीडीपी	पिछले साल की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
(₹ करोड़ में)								
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5	1,35,76,086	8.3
2016-17	8,49,801	14.5	4,84,924	7.0	3,40,592	21.5	1,51,83,709	11.8
2017-18	10,02,738	18.0	5,71,202	17.8	4,08,202	19.9	1,67,73,145	10.5
2018-19	11,37,718	13.5	6,63,572	16.2	4,61,652	13.1	1,90,10,164	13.3
2019-20	10,50,686	(-) 7.6	5,56,876	(-) 16.1	4,80,348	4.0	2,03,39,849	7.0

स्रोत: संघ वित्त लेखे

**1.4.4** निगम कर में वि.व. 2018-19 में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2019-20 में 16.1 प्रतिशत की कमी हुई थी, जबकि आयकर में वि.व. 2018-19 में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2019-20 में आयकर में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तुलना में, जीडीपी की वृद्धि 7.0 प्रतिशत थी।

**1.4.5** निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न स्तर हैं जैसे स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर (एसएटी) और नियमित निर्धारण कर। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व निर्धारण-संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण स्तर के माध्यम से किया गया कर संग्रहण पश्च निर्धारण होता है।

**1.4.6** निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान विभिन्न स्तरों के तहत निगम तथा आय कर के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.5 निगम और आयकर का संग्रहण								
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व निर्धारण संग्रहण (का.2+3+4)	कुल पूर्व-निर्धारण संग्रहण की प्रतिशतता	नियमित निर्धारण कर	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रहण (का. 5+7+8)
(₹ करोड़ में)								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2015-16	2,87,412	3,52,899	54,860	6,95,171	81.2	63,814	96,940	8,55,925
2016-17	3,43,144	4,06,769	68,160	8,18,073	82.8	74,138	95,887	9,88,098
2017-18	3,80,641	4,70,242	83,219	9,34,102	82.6	92,044	1,05,093	11,31,239
2018-19	4,50,769	5,27,529	84,174	10,62,471	82.6	99,032	1,24,757	12,86,260
2019-20	4,80,383	4,67,315	85,099	10,32,797	84.6	67,620	1,20,233	12,20,650

स्रोत: प्र. सीसीए, सीबीडीटी

नोट:- अन्य प्राप्तियों में अधिभार तथा उपकर शामिल हैं। संग्रहण के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है। वि.व. 2019-20 में संघ वित्त लेखाओं की तुलना में आयकर के संग्रहण में ₹ 5.0 करोड़ का अंतर है।

**1.4.7** उपरोक्त तालिका 1.5 दर्शाती है कि निर्धारितियों द्वारा (पूर्व निर्धारण चरण) निगम तथा आयकर के कुल संग्रहण में वि.व. 2015-16 में 81.2 प्रतिशत के प्रति वि.व. 2019-20 में 84.6 प्रतिशत का स्वैच्छिक अनुपालन हुआ जबकि नियमित निर्धारण (पश्च निर्धारण) द्वारा संग्रहण जो वि.व. 2015-16 में कुल संग्रहण का 7.5 प्रतिशत था, घट कर वि.व. 2019-20 में 5.5 प्रतिशत हो गया।

**1.4.8** निम्न तालिका 1.6 में आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं:-

तालिका 1.6 गैर-निगमित निर्धारिती						
वित्तीय वर्ष	क <sup>12</sup>	ख <sub>1</sub> <sup>13</sup>	ख <sub>2</sub> <sup>14</sup>	ग <sup>15</sup>	घ <sup>16</sup>	कुल
(आंकड़े लाख में)						
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04
2016-17	54.17	290.16	61.85	30.69	0.02	436.89
2017-18	61.16	360.63	79.04	37.05	0.02	537.90
2018-19	68.08	403.35	103.36	44.96	0.03	619.78
2019-20	75.05	409.15	104.53	50.63	0.01	639.37

स्रोत: सीबीडीटी; ये आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान दाखिल वास्तविक रिटर्न पर आधारित हैं।

12 श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ दो लाख से कम आय/हानि वाले निर्धारण;


13 श्रेणी 'ख'<sub>1</sub> निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परंतु ₹ पांच लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

14 श्रेणी 'ख'<sub>2</sub> निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

15 श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

16 श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण;

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2018-19 में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2019-20 में 3.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.6 तथा चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है, वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 के दौरान श्रेणी 'क' तथा श्रेणी 'ग' में क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, इन श्रेणियों में विगत वर्ष की तुलना में वि.व. 2018-19 के दौरान 11.3 प्रतिशत तथा 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान गैर-निगमित कर दाताओं में 60.6 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि इसी अवधि के दौरान गैर-निगमित करदाताओं से कर संग्रहण में 71.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, कर संग्रहण में वृद्धि गैर-निगमित करदाताओं की वृद्धि से ज्यादा थी।




1.4.9 निम्न तालिका 1.7 में आय की विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.7 निगमित निर्धारिती							
वित्तीय वर्ष	क <sup>17</sup>	ख <sub>1</sub> <sup>18</sup>	ख <sub>2</sub> <sup>19</sup>	ग <sup>20</sup>	घ <sup>21</sup>	कुल	₹ 25 लाख से अधिक की आय वाले निर्धारिती (आंकड़े लाख में)
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00 <sup>^</sup>	6.88	0.76
2016-17	3.14	1.65	0.53	1.81	0.00 <sup>#</sup>	7.13	1.44
2017-18	3.57	1.85	0.58	1.99	0.00 <sup>\$</sup>	7.99	1.31
2018-19	3.66	2.00	0.61	2.19	0.00 <sup>@</sup>	8.46	1.45
2019-20	3.48	2.00	0.63	2.27	0.00 <sup>*</sup>	8.38	1.52

स्रोत: सीबीडीटी । यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल की गई रिटर्न के आधार पर हैं।

<sup>^</sup> 337 निर्धारिती, <sup>#</sup> 134 निर्धारिती, <sup>\$</sup> 195 निर्धारिती, <sup>@</sup> 146 निर्धारिती, <sup>\*</sup>223 निर्धारिती

निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2018-19 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2019-20 में 0.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान निगमित करदाताओं में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि इसी अवधि के दौरान निगमित करदाताओं से कर संग्रहण में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि थी। इस प्रकार, कर संग्रहण में वृद्धि निगमित करदाताओं में वृद्धि से अधिक थी।



17 श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 50,000 से कम आय/हानि वाले निर्धारण;

18 श्रेणी 'ख'<sub>1</sub> निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ 50,000 और उससे अधिक परंतु ₹ पांच लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

19 श्रेणी 'ख'<sub>2</sub> निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

20 श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

21 श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण;

### 1.5 प्रतिदायों की प्रवृत्ति

जब देय कर राशि से अधिक कर राशि अदा की जाती है, निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय का हकदार होता है। आयकर विभाग समय-समय पर निर्धारितियों को यह प्रतिदाय जारी करता है। नीचे तालिका 1.8 में वि.व. 2016-17 से वि.व. 2019-20 के दौरान निगम कर और आयकर के संबंध में किये गये प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति और राजस्व संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)							
वि.व.	तिमाही समाप्त	निगम कर			आयकर		
		सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय की प्रतिशतता	सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय की प्रतिशतता
2016-17	जून 2016	1,05,330	51,320	48.7	74,081	7,257	9.8
	सितंबर 2016	1,49,278	16,499	11.1	90,935	13,526	14.9
	दिसंबर 2016	1,57,724	24,232	15.4	93,954	13,946	14.8
	मार्च 2017	1,93,273	28,630	14.8	1,23,523	7,172	5.8
	<b>कुल</b>	<b>6,05,605</b>	<b>1,20,681</b>	<b>19.9</b>	<b>3,82,493</b>	<b>41,901</b>	<b>11.0</b>
2017-18	जून 2017	1,11,789	44,530	39.8	87,685	11,269	12.9
	सितंबर 2017	1,56,759	16,113	10.3	99,112	7,682	7.8
	दिसंबर 2017	1,84,392	17,180	9.3	1,09,388	14,915	13.6
	मार्च 2018	2,27,400	31,315	13.8	1,54,714	8,831	5.7
	<b>कुल</b>	<b>6,80,340</b>	<b>1,09,138</b>	<b>16.0</b>	<b>4,50,899</b>	<b>42,697</b>	<b>9.5</b>
2018-19	जून 2018	1,27,468	61,078	47.9	98,049	12,834	13.1
	सितंबर 2018	1,90,200	12,848	6.8	1,27,210	16,823	13.2
	दिसंबर 2018	1,94,177	10,468	5.4	1,21,069	16,503	13.6
	मार्च 2019	2,57,554	21,434	8.3	1,70,533	9,049	5.3
	<b>कुल</b>	<b>7,69,399</b>	<b>1,05,828</b>	<b>13.8</b>	<b>5,16,861</b>	<b>55,209</b>	<b>10.7</b>
2019-20	जून 2019	70,435	64,894	92.1	92,449	11,209	12.1
	सितंबर 2019	1,78,463	17,404	9.8	1,11,951	17,481	15.6
	दिसंबर 2019	1,20,124	28,009	23.3	98,494	30,792	31.3
	मार्च 2020	1,87,853	11,235	6.0	1,77,449	2,407	1.4
	<b>कुल</b>	<b>5,56,876</b>	<b>1,21,542</b>	<b>21.8</b>	<b>4,80,343</b>	<b>61,889</b>	<b>12.9</b>

स्रोत: प्र. सीसीए, सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.8 से यह देखा जा सकता है कि विगत वर्षों के संग्रहण में से वि.व. 2016-17, वि.व. 2017-18 और वि.व. 2018-19 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर के सकल संग्रहण का क्रमशः 48.7 प्रतिशत,

39.8 प्रतिशत, 47.9 प्रतिशत और 92.1 प्रतिशत उक्त तिमाही के दौरान प्रतिदाय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों के संग्रहण में से वि.व. 2016-17, वि.व. 2017-18, वि.व. 2018-19 और वि.व. 2019-20 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर की कुल प्रतिदाय राशि का क्रमशः 42.5 प्रतिशत, 40.8 प्रतिशत, 57.7 प्रतिशत और 53.4 प्रतिशत का प्रतिदाय कर दिया गया। यह भी देखा गया है कि सकल संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में प्रतिदाय आयकर की तुलना में निगम कर के मामले में अधिक हैं।

## 1.6 कर प्रशासन प्रक्रिया

आयकर विभाग में कर प्रशासन प्रक्रिया में स्थायी लेखा संख्या (पैन) का आवंटन; आयकर रिटर्न फाइल करना (आईटीआर), आईटीआर की प्रोसेसिंग, आईटीआर की संवीक्षा, भूलों का सुधार, निर्धारण से छूट गयी आय, निर्धारण आदेशों का संशोधन, अपील प्रक्रिया, प्रतिदाय का निर्धारण, मांग उठाना, कर संग्रहण, शास्ति तथा अभियोजन इत्यादि शामिल है। निम्न तालिका 1.9 आयकर विभाग में शामिल प्रक्रियाओं का विवरण प्रदान करती है। परिशिष्ट 1.1 में प्रवाह चार्ट इन प्रक्रियाओं को दर्शाता है।

तालिका 1.9 कर प्रशासन प्रक्रिया	
स्थायी लेखा संख्या (पैन)	प्रत्येक व्यक्ति <sup>22</sup> जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139क के प्रावधानों के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना आवश्यक है, और उसे स्थायी लेखा संख्या आवंटित नहीं की गई है ऐसे समय के भीतर जैसा कि निर्धारित किया जाए, पैन के आवंटन के लिए आयकर विभाग में आवेदन करेंगे।
आय के रिटर्न	अधिनियम की धारा के तहत 139, प्रत्येक व्यक्ति यदि उसकी कुल आय, या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत प्रभार्य है, अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की एक विवरणी निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा तथा निर्धारित तरीके से सत्यापित करेगा और ऐसे अन्य विवरण प्रस्तुत करेगा जो निर्धारित किया जाए। सीबीडीटी ने विभिन्न श्रेणियों के निर्धारितियों के लिए आईटीआर के विभिन्न फॉर्मों को निर्धारित किया है। निर्धारितियों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से आय के रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है (आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12(3))।
संक्षिप्त प्रसंस्करण {धारा 143(1), 143(1ए),	संक्षिप्त प्रसंस्करण के तहत, आईटीआर की अंकगणितीय परिशुद्धता, आंतरिक अनुरूपता इत्यादि के लिए जांच की जाती है। इसके अलावा, फार्म 26 एएस या फार्म 16ए या फार्म 16 में दर्शाई गई आय को भी जोड़ा जाता है, जिसे रिटर्न में कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है।

22 कंपनी, फर्म, व्यक्ति, एचयूएफ, ट्रस्ट, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों का निकाय, सहकारी समितियां, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सरकारी एजेंसी।

143(1बी)}	संक्षिप्त प्रसंस्करण आईटीआर में उपलब्ध डेटा के साथ तथा निर्धारिती से रिकार्ड और जानकारी मांगे बिना होता है। इस प्रकार, कर संक्षिप्त प्रसंस्करण प्रकृति में अंतर्वेधी है। प्रसंस्करण के पश्चात, यदि निर्धारिती से कोई मांग देय है, उसे मांग नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है। कर के अधिक भुगतान के मामले में, कुछ अपवादात्मक मामलों के अलावा, जहां रिफंड की अनुमति मैन्युअल मोड में दी जाती है, रिफंड बैंक योजना के माध्यम से रिफंड जारी किया जाता है।
संवीक्षा निर्धारण	निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आय कर रिटर्न को कम्प्यूटर एडिड संवीक्षा चयन (सीएएसएस) द्वारा विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित किया जाता है। कुछ मामलों का चयन सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा मैन्युअली किया जाता है। अधिनियम में दो प्रकार के नियमित संवीक्षा निर्धारणों का प्रावधान है: (क) धारा 143 (3) के तहत निर्धारण जिसे निर्धारिती को अवसर प्रदान करने तथा रिकॉर्ड में निर्धारिती के सभी सुसंगत तथ्य तथा उत्तर लेने के बाद बनाया जाता है। (ख) धारा 144 (सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण) के तहत निर्धारण बनाया जाता है, जब, नोटिस के बावजूद, निर्धारिती उत्तर नहीं देता है तथा एक उत्तर फाइल करने के अवसर छोड़ता है। उपरोक्त के साथ-साथ, संवीक्षा ब्लॉक निर्धारण तलाशी के मामलों में (धारा 153ए/153सी) किए जाते हैं।  संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी (एओ) आयकर विभाग के पास उपलब्ध निर्धारितियों से संबंधित सभी रिकार्ड तथा जानकारी प्राप्त करता है तथा इसके साथ स्वयं की संतुष्टि के लिए निर्धारिती से रिकॉर्ड तथा जानकारी मंगवाता है कि कोई आय बेहिसाबी नहीं है तथा कर की ठीक प्रकार से गणना की गई है। अधिनियम नोटिस जारी करने के लिए तथा निर्धारण कार्यवाही के समापन की समय सीमा निर्धारित करता है। एओ निर्धारण कार्यवाही को अंतिम रूप देता है।
भूल सुधार	अधिनियम में स्वतः या निर्धारिती के अनुरोध पर निर्धारण आदेशों के बाद के सुधार का भी प्रावधान है (धारा 154)।
निर्धारण से छूट गयी आय	यदि एओ के पास विश्वास के लिए वजह है कि कोई कर को प्रभार्य आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है, वह ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है तथा कोई अन्य कर को प्रभार्य आय जो अधिनियम के प्रावधानों (धारा 147) के प्रावधानों के अधीन पुनर्निर्धारण के दौरान में बाद में उसकी जानकारी में आता है।
आदेशों का संशोधन	आयकर मुख्य आयुक्त धारा 263/264 के तहत एक निर्धारण आदेश में संशोधन कर सकता है यदि उसका यह मानना है कि एओ द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दिया गया कोई आदेश गलत है।
कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या (टीएएन)	टीएएन या कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या एक 10 अंको की अक्षारांकीय संख्या है जिसे सभी व्यक्तियों, जो कर कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं, के द्वारा अधिनियम की धारा 203(ए) के तहत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
पूर्व-निर्धारण संग्रहण	प्रत्येक निर्धारिती से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी कर देयता के निर्धारण तथा अग्रिम कर (धारा 207) तथा स्वयं-निर्धारण कर (धारा 140ए)

के भुगतान की कानूनी रूप से अपेक्षा की जाती है। कानून में व्यक्तियों या निगमों आदि को किए गए भुगतान की कुछ प्रतिशतता की कटौती के लिए तथा सरकार के लेखा में उसे जमा कराने के लिए भी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों (टीडीएस कटौतीकर्ता) में कतिपय भुगतानकर्ता प्राधिकारियों से अपेक्षा करती है। स्रोत पर कर की संग्रह (टीसीएस) करने वाले प्राधिकारी नामक नामित प्राधिकारी के माध्यम से कर एकत्र करने का एक अन्य तरीका है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों से कुछ अनुबंधों/पट्टों पर अधिकार देकर कुछ व्यक्तियों/निगमों से कर इकट्ठा करते हैं। इन चार तंत्रों - अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, टीडीएस तथा टीसीएस के माध्यम से आय कर का संग्रहण कर संग्रहणों का पूर्व-निर्धारण माध्यम कहा जाता है।

**अपील प्रक्रिया** एक व्यथित निर्धारिती एओ के आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है जो अपीलीय आदेश में दिए गए सभी आदेशों का पालन करेगा। आगे, अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध आय कर अपीलीय अधिकरण को तथ्य तथा कानून के प्रश्न पर अपील की भी अनुमति है। धारा 260ए के तहत उच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है यदि अपीलीय अधिकरण द्वारा किसी मामले पर विचार नहीं किया गया है या गलत विचार किया गया है तथा किसी ऐसे मामले में धारा 261 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भी भेजा जा सकता है जिसे उच्च न्यायालय उसे अपील के लिए सही मामला प्रमाणित करता है।

**प्रतिदाय** जहां कर की भुगतान की गई राशि देय कर की राशि से अधिक है, निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय के लिए हकदार है। ऐसे प्रतिदाय की राशि पर निर्धारित दर पर साधारण ब्याज देय है। अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप ब्याज के साथ प्रतिदाय भी स्वीकार्य है।

**बकाया कर की वसूली** एओ से मांग की प्राप्ति पर, निर्धारिती को 30 दिनों या एओ द्वारा निर्धारित किसी अन्य समय सीमा में भुगतान करना आवश्यक है। यदि मांग के उठाए जाने के एक वर्ष के अन्दर वसूली नहीं की जाती है, तो एओ को मांग की वसूली के लिए उठाए गए सभी संभव उपाय सुनिश्चित करने के पश्चात कर वसूली प्रमाण पत्र (टीआरसी) को बनाने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को बकाया मामलों के विवरण भेजना आवश्यक है।

**शास्ति तथा अभियोजन** अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा उल्लंघन के लिए निवारक प्रभाव के संबंध में, अधिनियम में शास्ति के आरोपण तथा अभियोजन शुरू करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान है। कई शास्तिक प्रावधानों में उद्ग्रहण विवेकाधीन स्वरूप वाला हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे छोड़ा जा सकता है।

## 1.7 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

**1.7.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है।** राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) शामिल होती हैं। बजट अनुमानों की तदनुरूपी वास्तविक से तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविकता अप्रत्याशित और यादृच्छिक



रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं या महत्वपूर्ण मापदण्डों के बारे अवास्तविक धारणाओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती है।

1.7.2 निम्न तालिका 1.10 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा वास्तविक संग्रहण के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 1.10: प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान							
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक माइनस बजट अनुमान	वास्तविक माइनस संशोधित अनुमान	बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर	संशोधित अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर
							(₹ करोड़ में)
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3
2016-17	8,47,097	8,47,097	8,49,801	2,704	2,704	0.3	0.3
2017-18	9,80,000	10,05,000	10,02,738	22,738	(-) 2,262	2.3	(-) 0.2
2018-19	11,50,000	12,00,000	11,37,718	(-) 12,282	(-) 62,282	(-) 1.1	(-) 5.2
2019-20	13,35,000	11,70,000	10,50,686	(-) 2,84,314	(-) 1,19,314	(-) 21.3	(-) 10.2

स्रोत: बीई और आरई आंकड़े संबंधित प्राप्त बजट और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.7.3 संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक संग्रहण के बीच भिन्नता वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों के (-) 10.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत के बीच थी। संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक के बीच भिन्नता वि.व. 2015-16 से 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में अधिक थी।

## 1.8 कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव

1.8.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों के वित्तपोषण के प्रयोजन हेतु राजस्वों को बढ़ाना है। सृजित राजस्व प्राथमिक रूप से कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करता है। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, रियायतें, आस्थगित अदायगी और क्रेडिट शामिल है। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन या कर प्राथमिकता' कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.8.2 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), अन्य विषयों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा व्यक्तियों द्वारा बचत को बढ़ाना तथा धर्मार्थ दान हेतु कर

प्रोत्साहनों का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

**1.8.3** संघ प्राप्ति बजट इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर निगमित करदाताओं और गैर निगमित करदाताओं पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। निम्न तालिका 1.11 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.11: कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव					
वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रभाव			
		जीडीपी	प्रत्यक्ष कर	सकल कर प्राप्तियां	
					(₹ करोड़ में)
2015-16	1,38,658	1.0	18.7		9.5
2016-17	1,55,840	1.0	18.3		9.1
2017-18	1,83,580	1.1	18.3		9.6
2018-19	2,06,113	1.1	18.1		9.9
2019-20	2,30,415	1.2	21.9		11.4

स्रोत: संबंधित प्राप्ति बजट।

नोट: कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ें वि.व. 2019-20 (अनुमानित) को छोड़कर वास्तविक हैं। इनमें धर्मार्थ संस्थान शामिल नहीं हैं। तथापि, धर्मार्थ संस्थानों द्वारा 30 नवंबर 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई 1,98,806 रिटर्न के संबंध में ₹ 5,29,126 करोड़ प्रयोग किये गये थे।

वि.व. 2020-21 के प्राप्ति बजट में बताए अनुसार 34.6 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के प्रति वि.व. 2018-19 के लिए निगम कर की प्रभावी दर 27.8 प्रतिशत थी।

**1.8.4** वि.व. 2019-20 में निगमित और गैर-निगमित निर्धारितियों को दिये गये मुख्य कर प्रोत्साहन धारा 80सी के अन्तर्गत कतिपय निवेशों और भुगतानों (₹ 71,965 करोड़), धारा 32 के अंतर्गत तीव्र मूल्यहास कटौतियों (₹ 56,586 करोड़), धारा 10ए के अंतर्गत एसईजेड इकाईयों के निर्यात लाभ की कटौतियां (₹ 24,301 करोड़), धारा 80-आईए के तहत ऊर्जा के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों में कटौतियां (₹ 14,468 करोड़), धारा 35(1)(2ए) और (2एबी) के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौतियां (₹ 8,319 करोड़) थीं। वि.व. 2018-19 (वि.व. 2017-18 में 29.49 प्रतिशत) में कम्पनियों<sup>23</sup> के लिए प्रभावी कर दर (ईटीआर) औसत 34.58 प्रतिशत की सांविधिक दर की तुलना में 27.81 प्रतिशत थी।

23 स्रोत: प्राप्ति बजट 2021-22

**1.8.5** कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में वि.व. 2015-16 में ₹ 1,38,658 करोड़ से वि.व. 2019-20 में ₹ 2,30,415 करोड़ तक 66.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यद्यपि, वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में कर प्रोत्साहन में वास्तव में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि डीटी तथा जीटीआर में कर प्रोत्साहनो के राजस्व प्रभाव के भाग में वृद्धि क्रमशः 3.8 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत थी। कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव वि.व. 2018-19 तथा वि.व. 2017-18 में 1.1 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2019-20 के दौरान जीडीपी का 1.2 प्रतिशत था।

### 1.9 कर ऋण-असंग्रहित मांग

**1.9.1** वि.व. 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान लंबित मांग के बकाया की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.12: मांग का बकाया						
वित्तीय वर्ष	पिछले वर्ष की बकाया मांग	चालू वर्ष की बकाया मांग	कुल बकाया मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग#	वसूली के लिए मुश्किल मांग (प्रतिशत में)	शुद्ध संग्रहणीय मांग
						(₹ करोड़ में)
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256	97.34	21,955
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725	98.57	14,963
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023	98.19	20,159
2018-19	9,46,190	2,87,888	12,34,078	12,19,485	98.82	14,593
2019-20	11,25,314	4,93,640	16,18,954	15,80,220	97.61	38,734

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं), संबंधित वि.व. के मार्च माह हेतु मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट (सीएपी-1)  
# इसमें चालू वर्ष की मांग भी शामिल है।

**1.9.2** यद्यपि वि.व. 2019-20 में मांग की कुल बकाया में वि.व. 2018-19 (₹ 12,34,078 करोड़) की तुलना में 31.2 प्रतिशत की वृद्धि से ₹ 16,18,954 करोड़ थी, हालांकि 'वसूली हेतु दुष्कर' के रूप में वर्गीकृत मांग में निवल संग्रहणीय मांग में वृद्धि के कारण वि.व. 2018-19 में 98.8 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2019-20 में मांग के कुल बकाया में 97.6 प्रतिशत तक सीमांत रूप से कमी आई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के लिए आयकर विभाग द्वारा तैयार की गयी मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट में विभिन्न कारकों अर्थात् वसूली हेतु कोई परिसम्पत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापनाधीन/बीआईएफआर, निर्धारिती का पता न लगना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग, बेमेल टीडीएस/पूर्व भुगतान किए गए कर इत्यादि, जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर हो

गई, का विश्लेषण किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग द्वारा 'वसूली हेतु दुष्कर' वर्गीकृत मांग में मुख्यतः चालू वर्ष की मांग की बकाया राशि शामिल थी।

## 1.10 मुकदमेबाजी प्रबंधन

1.10.1 नीचे तालिका 1.13 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.13: सीआईटी (ए) द्वारा अपील के मामलों का निपटान					
वित्तीय वर्ष	निपटान के लिए उपलब्ध अपील मामले	निपटाए गए अपील मामले	लंबित अपील मामले	प्रतिशतता में लम्बन	अपील मामलों में अवरुद्ध राशि
	(संख्या लाख में)			(₹ करोड़ में)	
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250
2016-17	4.08	1.18	2.90	71.1	6,11,227
2017-18	4.25	1.21	3.04	71.7	5,18,647
2018-19	4.62	1.23	3.39	73.4	5,62,806
2019-20	5.57	0.99	4.58	82.2	8,83,331

स्रोत: सीबीडीटी

1.10.2 वि.व. 2019-20 में सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरुद्ध राशि भारत सरकार के राजस्व घाटे से अधिक है।

1.10.3 निम्न तालिका 1.14, वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.14: आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित अपील								
वित्तीय वर्ष	आईटीएटी		उच्च न्यायालय		सर्वोच्च न्यायालय		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
(₹ करोड़ में)								
2015-16	32,834	1,35,984	32,138	1,61,418	5,399	7,092	70,371	3,04,494
2016-17	37,968	1,43,771	38,481	2,87,818	6,375	8,048	82,806	4,39,637
2017-18	37,353	2,34,999	39,066	1,96,053	6,224	11,773	82,643	4,42,825
2018-19	92,205	उ.न.®	38,539	1,36,465	4,425	74,368#	1,35,169	2,10,833
2019-20	88,016	उ.न.®	31,745	3,09,237	4,526	उ.न.®	1,24,287	3,09,237

स्रोत: सीबीडीटी;

@ विभाग के साथ-साथ निर्धारित द्वारा आईटीएटी और सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलों के संबंध में राशि उपलब्ध नहीं है।

# निर्धारितियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलों के संबंध में राशि उपलब्ध नहीं है

1.10.4 सीबीडीटी ने, 2019 के अपने परिपत्र संख्या 17 दिनांक 8 अगस्त 2019 के माध्यम से विभाग द्वारा आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को क्रमशः ₹ 20 लाख से ₹ 50 लाख, ₹ 50 लाख से ₹ एक करोड़ और ₹ एक करोड़ से ₹ दो करोड़ तक बढ़ा दिया। कुल लंबित मामले वि.व. 2018-19 में 1.35 लाख से वि.व. 2019-20 में 1.24 लाख हो गए अर्थात् मामलों में 8.1 प्रतिशत की मामूली कमी हुई थी।

### 1.11 कर अपवंचन

1.11.1 तलाशी एवं जब्ती<sup>24</sup> तथा सर्वेक्षण<sup>25</sup>, साक्ष्य संग्रहण तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहां कर-अपवंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आयकर विभाग के अधिकार में होती है। निम्न तालिका 1.15, वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 तक के दौरान किए गए तलाशी एवं जब्ती अभियानों तथा सर्वेक्षण और स्वीकृत/पता लगाई गई अप्रकटित आय को दर्शाती है।

तालिका : 1.15 तलाशी और जब्ती और सर्वेक्षण के मामलों की स्थिति				
वित्तीय वर्ष	तलाशी किए गए समूहों की संख्या	स्वीकार की गई अप्रकटित आय (तलाशी और जब्ती में)	किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अघोषित आय (सर्वेक्षणों में)
				(₹ करोड़ में)
2015-16	447	11,226	4,428	9,700
2016-17	1,152	15,497	12,526	13,716
2017-18	577	15,913	13,487	9,634
2018-19	983	18,594	15,401	16,126
2019-20	984*	10,370*	12,720	22,244

स्रोत: इन्वेस्टिगेशन विंग, सीबीडीटी; \* अनंतिम

1.11.2 वि.व. 2019-20 के दौरान, वि.व. 2018-19 से संबंधित आकड़ों की तुलना में तलाशी तथा जब्ती के दौरान स्वीकृत की गई अप्रकटित आय 44.2 प्रतिशत तक कम हुई तथा सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अप्रकटित आय 37.9 प्रतिशत तक बढ़ी।

24 किसी भी अघोषित आय या कीमती वस्तुओं का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी एवं जब्ती की जाती है।

25 किसी भी सूचना को एकत्र करने के लिए अधिनियम की धारा 133ए और 133बी के तहत सर्वेक्षण किया जाता है, जो आयकर विभाग के लिए कर अपवंचन रोकने में उपयोगी हो सकता है।

## 1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

**1.12.1** आंतरिक लेखापरीक्षा, विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसाधित किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने वि.व. 2018-19 में लेखापरीक्षित 1,62,467 मामलों के प्रति वि.व. 2019-20 में 1,62,509 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

**1.12.2** नीचे तालिका 1.16 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए उठाई गई, निपटान की गई और लंबित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है।

तालिका : 1.16 आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण								
वित्तीय वर्ष	अथ शेष <sup>^</sup>		वृद्धि		निपटान		लम्बन	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
(₹ करोड़ में)								
2015-16	19,137	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281
2016-17	19,405	12,283	12,972	2,451	11,256	3,352	21,121	11,382
2017-18	21,129	11,295	13,297	2,562	9,062	1,283	25,364	12,575
2018-19	25,408	12,602	16,975	3,147	11,847	4,334	30,536	11,415
2019-20	31,024	11,388	14,887	4,088	10,084	1,206	35,827	14,270

स्रोत: आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखापरीक्षा); <sup>^</sup>मार्च को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संबंधित सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े।

**1.12.3** वि.व. 2018-19 में 7,818 मामलों में से 1,923 मामलों (24.6 प्रतिशत) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 9,164 मुख्य आपत्तियों के मामलों<sup>26</sup> में से निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने, वि.व. 2019-20 में केवल 1,469 मामलों (16.0 प्रतिशत) पर कार्य किया। एओ द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

26 2017 के निदेश सं 6 दिनांक 21.7.2017 के अनुसार, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्रिक सीमा को ₹ दो लाख से 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है।

## अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

### 2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी कानून के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली, 2007 (विनियम) में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

### 2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में मुख्यतः निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी प्रभावोत्पादकता की जाँच को शामिल किया जाता है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;
- ख. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;
- ग. विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई;
- घ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;
- ड. राशि जो बकाया में हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है, और न ही कम किया गया है।

**2.2.2** उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए, हमने वि.व. 2018-19 में आयकर विभाग द्वारा पूरे किये गए निर्धारणों की जांच की। इसके अतिरिक्त, पूर्व वर्षों में पूरे किये गए कुछ निर्धारणों को भी जांच के अंतर्गत रखा गया।

**2.2.3** आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारितियों द्वारा फाईल किये गये रिटर्न का आयकर विभाग नमूना संवीक्षा निर्धारण करता है। आयकर विभाग द्वारा निर्धारित और पूर्व परिभाषित मानदंडों के आधार पर कंप्यूटर एडिड संवीक्षा चयन (सीएसएस) द्वारा संवीक्षा के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) का चयन किया जाता है। तत्पश्चात इन मामलों का सही निर्धारण करने हेतु कटौतियों, हानियों, छूटों आदि के दावों के संबंध में गहनता से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का कोई अपवंचन नहीं हुआ है। निर्धारिती को उसके दावे की पुष्टि का अवसर दिया जाता है जिसके विफल रहने पर निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) जैसा उचित समझे निर्धारण करता है। संवीक्षा मामलों के संबंध में प्रसंस्करण, पूर्णता और निर्धारण आदेश का सुधार कार्य निर्धारण सूचना प्रणाली (एसटी)/आयकर व्यवसायिक एप्लीकेशन (आईटीबीए) मोड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है। एसटी/आईटीबीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर की गणना, ब्याज की गणना, समयबाधित नियंत्रण आदि देखता है। संवीक्षा निर्धारण, सुधार, अपील प्रभावी आदेश के मामले में, आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रणाली में आंकड़ों का डेटा भरा जाता है। टीडीएस/टीसीएस और अग्रिम कर आदि के संबंध में निर्धारिती द्वारा किये गये भुगतान क्रमशः फार्म 26 एस और ओल्टास एप्लीकेशन से स्वतः ही भरे जाते हैं।

#### **2.2.4 निर्धारण में त्रुटियों का होना**

हमने वि.व. 2019-20 के दौरान आयकर विभाग की कुल 6,249 निर्धारण इकाईयों में से 1,888 की लेखापरीक्षा की और 16,193 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की (निरीक्षण रिपोर्ट स्तर के लेखापरीक्षा पैराग्राफ)। अगामी विश्लेषण पर हमने पाया कि लगभग 6.14 प्रतिशत संवीक्षा मामलों, जिनकी हमने जांच की, में त्रुटियां थीं। दिलचस्प बात यह है कि हमने उन 805 निर्धारणों में त्रुटियां पाईं जिनकी आंतरिक लेखापरीक्षा में पहले ही जांच की गयी थी। नीचे तालिका 2.1 में विवरण दिया गया है जबकि परिशिष्ट 2.1 में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयवार विवरण दिया गया है।



तालिका 2.1 लेखापरीक्षा द्वारा 2019-20 के दौरान जांच किए गए निर्धारण में त्रुटियों के होने का विश्लेषण				
लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में पूर्ण हुए निर्धारणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों की कुल संख्या	उन मामलों की संख्या जिनकी आंतरिक लेखापरीक्षा में पहले ही जांच की गयी	आईएपी द्वारा मामलों की लेखापरीक्षा के बाद की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (प्रतिशत में)
3,47,937	2,63,340	16,193	805	4.97

स्रोत: एमआईएस और सीएजी का साई सिस्टम और आईटीडी के आईटीबीए के साथ इसका इंटरफेस

### 2.3 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ का विश्लेषण

हम विनियम 205 से 209 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को लेखापरीक्षा में पाए गये महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामले जारी करते हैं। हम मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले मंत्रालय को जारी किए गए मामलों पर उनकी टिप्पणी देने के लिए छह सप्ताह का समय देते हैं। हमने इस रिपोर्ट के अध्याय III और IV में ₹ 12,893.13 करोड़ के कर प्रभाव वाले 577<sup>27</sup> उच्च मूल्य वाले मामले शामिल किए हैं। इन मामलों के श्रेणीवार विवरण को तालिका 2.2 में दर्शाया गया है और उप श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिए गए हैं। निगम कर और आयकर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों का विवरण क्रमशः अध्याय III और IV में दिया गया है।

तालिका 2.2 उच्च मूल्य वाले मामलों की त्रुटियों का श्रेणीवार विवरण						
श्रेणी	निगम कर		आय कर		कुल	
	सं.	कर प्रभार	सं.	कर प्रभार	सं.	कर प्रभार
(₹ करोड़ में)						
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	134	818.92	166	325.66	300	1,144.58
ख. कर रिआयत/छूट/कटौती का प्रशासन	157	2,938.67	18	33.45	175	2,972.12
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गयी आय	51	8,606.78	29	32.61	80	8,639.39
घ. कर/ब्याज का अतिप्रभार	14	112.16	09	24.88	23	137.04
<b>कुल</b>	<b>356</b>	<b>12,476.53</b>	<b>222<sup>28</sup></b>	<b>416.60</b>	<b>578</b>	<b>12,893.13</b>

27 दो निर्धारण वर्षों के लिए अवनिर्धारण और अधिक निर्धारण दोनों पर एक डीपी में अभ्युक्ति है, इसलिए प्रतिवेदन के अन्य स्थानों पर दो मामलों के रूप में माना गया।

28 221 आयकर मामले मंत्रालय को जारी किए गए। एक डीपी में दो निर्धारण वर्षों के लिए अवनिर्धारण और अधिक निर्धारण दोनों पर अभ्युक्तियां दी गयी हैं, इसलिए दो मामले माने गए हैं। इस प्रकार कुल गणना 222 है।

### 2.3.1 निर्धारणों की गुणवत्ता - अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हमने गणना संबंधी त्रुटियों, पहले से जारी किए गए/समायोजित प्रतिदाय पर विचार न करने, प्रतिदाय पर ब्याज की अधिक संगणना आदि के कारण अधिक या अनियमित प्रतिदाय या प्रतिदाय पर ब्याज से होने वाली अनियमितताएं पाईं। वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान इस श्रेणी में पाई गई त्रुटियों, जिन्हें चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019-20) के निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया, का नीचे तालिका 2.3 में सारांश दिया गया है।

तालिका 2.3: अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज (₹ करोड़ में)								
निर्धारण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
निगम कर	6 <sup>29</sup>	50.35	4 <sup>30</sup>	30.98	5 <sup>31</sup>	1114.29	6	24.08

वि.व. 2019-20 के दौरान, प्र. सीसीआईटी-कर्नाटक (56 प्रतिशत) और प्र. सीसीआईटी मुम्बई (32.2 प्रतिशत) में ये अनियमितताएं अधिकतम थीं (जहां कहीं अधिकतम का उल्लेख किया गया है यह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है और न कि मामलों की संख्या के संबंध में)।

### 2.3.2 कर रिआयतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूँजीगत हानियों आदि के अनुमत करने में अनियमितताएं

हमने कारोबार हानियों, पूँजीगत हानियों और अनवशोषित मूल्यहास के गलत अनुमत करने और समंजन, मूल्यहास के गलत अनुमत करने आदि से संबंधित अनियमितताएं पाईं। ऐसी अनियमितताओं के स्वरूप में निम्नलिखित शामिल था:

- अग्रेषित कारोबार हानियों और अनवशोषित मूल्यहास के समंजन का गलत अनुमत करना जहां पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों (नि.व.) के संबंध में कोई हानि उपलब्ध नहीं थी,
- गलत आंकड़ों का अपनाना जैसे पूर्व वर्षों की कारोबार हानि को चालू निर्धारण वर्ष में रिटर्न्ड हानि के रूप में अपनाना,

29 कर्नाटक और महाराष्ट्र

30 महाराष्ट्र

31 कर्नाटक और महाराष्ट्र

(iii) कारोबार हानि के अग्रनयन का गलत अनुमत करना जबकि उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आईटीआर को विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख के बाद दाखिल किया गया, और

(iv) मूल्यहास आदि के कारण दोहरी कटौती।

ऐसी अनियमितताएं उचित सावधानी बरतने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता को दर्शाने वाले निर्धारण अभिलेखों के सह-सम्बद्ध न होने और कानून का अनुपालन न करने के कारण रहीं। वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान मूल्यहास/कारोबार हानियों/ पूंजीगत हानियों आदि को अनुमत करने में पायी गयी अनियमितताएं, जैसाकि चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019-20) के निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया, का नीचे तालिका 2.4 में सारांश दिया गया है।

तालिका 2.4: मूल्यहास/कारोबार हानियां/पूंजीगत हानियां अनुमत करने में पायी गयी अनियमितताएं								
निर्धारण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
(₹ करोड़ में)								
निगम कर	81 <sup>32</sup>	1,144.10	66 <sup>33</sup>	1,796.86	75 <sup>34</sup>	2,655.15	87	1,017.28
आय कर	9 <sup>35</sup>	24.41	7 <sup>36</sup>	9.19	14 <sup>37</sup>	21.29	11	27.83

निगम कर के संबंध में, ये वि.व. 2019-20 के दौरान प्र. सीसीआईटी कर्नाटक (30.3 प्रतिशत) और प्र. सीसीआईटी-मुम्बई (26.19 प्रतिशत) में अधिकतम थीं।

आयकर के संबंध में, ये अनियमितताएं वि.व. 2019-20 के दौरान प्र. सीसीआईटी कर्नाटक (44.25 प्रतिशत) में अधिकतम थीं।

32 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

33 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

34 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

35 बिहार, झारखंड, राजस्थान, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र

36 बिहार, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल

37 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और पश्चिम बंगाल

### 2.3.3 कर रिआयतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन - कारोबार व्यय का गलत अनुमत करना

हमने कारोबार व्यय के अपात्र दावों यथा पूंजीगत व्यय, अदा न किये गये दावों और अनिश्चित देयता के रूप में माने गए प्रावधानों आदि को गलत अनुमत करने से संबंधित अनियमितताएं पाईं। वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान व्यय को गलत अनुमत करने में पाई गई त्रुटियों जैसाकि चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019-20) के निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया, का सारांश नीचे तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: कारोबार व्यय को अनुमत करने में पाई गई त्रुटियां								
निर्धारण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020	
	(₹ करोड़ में)							
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
निगम कर	50 <sup>38</sup>	478.67	48 <sup>39</sup>	875.47	49 <sup>40</sup>	764.39	40	187.75

वि.व. 2019-20 के दौरान, इसके कारण अनियमितताएं प्र. सीसीआईटी-आंध्र प्रदेश (32.3 प्रतिशत) और प्र. सीसीआईटी-दिल्ली (20.3 प्रतिशत) में अधिकतम थीं।

### 2.3.4 त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गयी आय - मैट/टनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत अनियमितताएं

हमने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कर के उद्ग्रहण में त्रुटियों से संबंधित अनियमितताएं पाईं, जो निम्न के कारण थीं:

- (i) बही लाभ की संगणना में त्रुटियां,
- (ii) बही लाभ की संगणना के लिए सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत अननुमत व्यय को हिसाब में न लेना,
- (iii) बही लाभ की संगणना के लिए विशिष्ट व्यय को हिसाब में न लेना,

38 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

39 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र

40 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

(iv) विशेष प्रावधानों की बजाय सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत कर आदि।

वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत पाई गई वृद्धियों, जैसाकि चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019-20) के निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया, का नीचे तालिका 2.6 में सारांश दिया गया है।

तालिका 2.6: विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत वृद्धियां								
निर्धारण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019		मार्च 2020	
	(₹ करोड़ में)							
	वृद्धियों की सं.	कर प्रभाव	वृद्धियों की सं.	कर प्रभाव	वृद्धियों की सं.	कर प्रभाव	वृद्धियों की सं.	कर प्रभाव
निगम कर	1 <sup>41</sup>	2.06	28 <sup>42</sup>	100.43	22 <sup>43</sup>	447.85	8	234.18

वि.व. 2019-20 के दौरान, ये अनियमितताएं प्र. सीसीआईटी-दिल्ली (92.4 प्रतिशत) में अधिकतम थीं।

## 2.4 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

**2.4.1** हम लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर लेखापरीक्षित सत्त्वों से उत्तर प्राप्त करते हैं। विनियम 193 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, हम आयकर विभाग को टिप्पणी हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करते हैं।

सीबीडीटी की 2017 की अनुदेश संख्या 07 में प्राप्ति/राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्थायी प्रचालन क्रियाविधि निर्धारित की गयी है जोकि 2006 की अनुदेश संख्या 9, 2013 की अनुदेश संख्या 16 और 2013 की परिपत्र संख्या 08 के अतिक्रमण में है।

लेखापरीक्षा विनियम 202 और 203 में अपेक्षा की गयी है कि निरीक्षण रिपोर्टों/लेखापरीक्षा टिप्पणियों में शामिल की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर पर्याप्त, मार्गदर्शी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां और क्रियाविधि स्थापित की जाएं और लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अनुपालन और निपटान की मानीटरिंग करने और सुनिश्चित करने के लिए

41 महाराष्ट्र

42 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

43 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

लेखापरीक्षा समितियां स्थापित की जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा को उत्तर निर्धारित अवधि में भेजे गए हैं, विभाग के प्रयास संतोषजनक नहीं रहे हैं।

2.4.2 नीचे तालिका 2.7 में वि.व. 2017-18 से वि.व. 2019-20 के दौरान जारी किए गए एलएआर में अभ्युक्तियों और उस पर प्राप्त उत्तरों और स्वीकार की गयी अभ्युक्तियों (वित्तीय वर्ष के क्रमशः 31 मार्च को) की संख्या की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: स्थानीय लेखापरीक्षा को प्राप्त उत्तर						
वित्तीय वर्ष	की गयी अभ्युक्तियां	प्राप्त उत्तर		प्राप्त न हुए उत्तर	स्वीकार की गयी अभ्युक्तियों की प्रतिशतता (जहां उत्तर प्राप्त हुए)	प्राप्त न हुए उत्तरकी प्रतिशतता
		स्वीकार की गयी अभ्युक्तियां	स्वीकार न की गयी अभ्युक्तियां			
2017-18	24,502	3,983	2,882	17,637	58.02	71.98
2018-19	21,533	3,357	2,743	15,433	55.03	71.67
2019-20	16,330	2,412 <sup>#</sup>	3,252	10,666	42.58	65.32

# 1,409 अभ्युक्तियां स्वीकार की गयी और उपचारी कार्रवाई की गयी; 1,003 अभ्युक्तियां स्वीकार की गयी परन्तु उपचारी कार्रवाई नहीं की गयी

2.4.3 नीचे तालिका 2.8 में लम्बित अभ्युक्तियों की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण								
अवधि	निगम कर		आय कर		अन्य प्रत्यक्ष कर		कुल	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
(₹ करोड़ में)								
मार्च 2018 तक	17,009	60,579.88	15,352	12,308.13	1,540	167.03	33,901	73,055.04
मार्च 2019	5,786	29,540.84	7,072	9,158.15	235	668.73	13,093	39,367.72
मार्च 2020	3,004 <sup>44</sup>	17,041.39	4,102	1,802.87	77	3.77	7,183	18,848.03
<b>कुल</b>	<b>25,799</b>	<b>1,07,162.11</b>	<b>26,526</b>	<b>23,269.15</b>	<b>1,852</b>	<b>839.53</b>	<b>54,177</b>	<b>1,31,270.79</b>

प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति उत्तर में लम्बन के होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 को ₹ 1,31,270.79 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 54,177 मामलों का संचयन हुआ है।

44 अभ्युक्तियां जारी होने के छह माह पश्चात् लम्बित हो जाती हैं

**2.4.4** हमने अगस्त 2020 से दिसम्बर 2020 के दौरान मंत्रालय तथा सीबीडीटी को 577<sup>45</sup> उच्च कीमत वाले मामले जारी किए जिसमें इसकी प्राप्ति के छह सप्ताह के अन्दर उत्तर की मांग की गयी। हालांकि, हमने मंत्रालय/सीबीडीटी से केवल 43<sup>46</sup> उच्च कीमत वाले मामलों (जुलाई 2021) के लिए उत्तर प्राप्त किए। इन मामलों में से ₹ 2,952.55 करोड़ (22.90 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 400 मामलों (69.20 प्रतिशत) में उपचारी कार्रवाई पूरी की गयी थी, ₹ 644.51 करोड़ (5.0 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 91 मामलों (15.74 प्रतिशत) में उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की गयी थी और ₹ 9,296.07 करोड़ के कर प्रभाव वाले 86 मामलों में उपचारी कार्रवाई न तो प्रारम्भ की गयी थी और न ही पूरी की गयी थी। तालिका 2.2 में इन मामलों के श्रेणीवार विवरण को दर्शाया गया है (उपश्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-2.3 में दिए गए हैं)।

#### अभिलेखों का प्रस्तुत न करना

**2.4.5** सीएजी के (डीपीसी) एक्ट, 1971 की धारा 18 के अनुसार, लेखापरीक्षा को वह कोई भी अभिलेख या दस्तावेज मांगने का अधिकार है जो उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 के विनियम 185 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षिणी इकाई का प्रभारी अधिकारी यथा पूर्ण यथा संभव और निर्धारित समय के अन्दर सूचना और अभिलेखों के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोध का अनुपालन करेगा।


सीबीडीटी की 2017 की अनुदेश संख्या 07 में प्राप्ति/राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्थायी प्रचालन क्रियाविधि निर्धारित की गयी है जो कि 2006 की अनुदेश संख्या 09, 2013 की अनुदेश संख्या 16 और 2013 की परिपत्र संख्या 08 के अतिक्रमण में है।

आयकर विभाग की लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका के पैरा 8.1.2 के अनुसार निर्धारण अधिकारी एलएपी द्वारा मांगे गए निर्धारण और अन्य अभिलेखों की आपूर्ति करेगा। यदि मांगे गए किसी विशेष अभिलेख को उपलब्ध कराना संभव नहीं है, तो निर्धारण अधिकारी पीसीआईटी के पूर्व अनुमोदन के साथ लिखित रूप में एलएपी को उसके कारण सूचित करेगा और ऐसे अभिलेख अगले लेखापरीक्षा चक्र में लेखापरीक्षा को निरपवाद रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे।

45 दो वित्तीय वर्षों के लिए कम निर्धारण तथा अधिक निर्धारण दोनों पर अभ्युक्तियों वाली एक डीपी है, इसलिए प्रतिवेदन के अन्य स्थानों पर दो मामलों के रूप में स्वीकार किया गया है।

46 29 मामले अध्याय III (निगम कर) से सम्बन्धित हैं तथा 14 मामले अध्याय IV (आयकर) से सम्बन्धित हैं

**2.4.6** उपरोक्त के बावजूद, आयकर विभाग ने वि.व. 2019-20 के दौरान मांगे गए 2,79,939 अभिलेखों<sup>47</sup> (6.96 प्रतिशत) में से 19,484 अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना एक बार-बार होने वाली घटना है जैसाकि नीचे चार्ट 2.1 में विवरण दिया गया है।



परिशिष्ट 2.3 में वि.व. 2017-18 से वि.व. 2019-20 के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के विवरण दर्शाए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वि.व. 2019-20 में अभिलेखों को प्रस्तुत न करने में प्र. सीसीआईटी-तमिलनाडु, प्र. सीसीआईटी-गुजरात, प्र. सीसीआईटी-एनईआर, प्र. सीसीआईटी-ओडिशा और प्र. सीसीआईटी-केरल में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि हुई है।

नीचे तालिका 2.9 में उसी निर्धारिती से संबंधित तीन या अधिक निरंतर लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किए गए अभिलेख	
राज्य	प्रस्तुत न किए गए अभिलेख
क. तमिलनाडु	1,479
ख. ओडिशा	9
<b>जोड़</b>	<b>1,488</b>

वि.व. 2019-20 में दो राज्यों में उन्ही निर्धारितियों से संबंधित 1,488 अभिलेख पिछले तीन या अधिक निरंतर लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

47 वे 20,413 अभिलेख शामिल हैं जिनको पूर्ववर्ती वर्षों में प्रस्तुत नहीं किया गया और चालू लेखापरीक्षा चक्र के दौरान जिनकी पुनः मांग की गयी




### सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि

- मंत्रालय/सीबीडीटी इन अनुदेशों के साथ निर्धारित प्रणाली को लागू कर सकता है कि पीसीआईटी/सीआईटी (ऑडिट) चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे।
- लेखापरीक्षा विनियमों के प्रावधानों का आयकर विभाग द्वारा अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है।
- पैराओं को या तो स्वीकार करने या स्वीकार न करने के लिए उत्तरों का समय पर प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि बकाया पैराओं में उपचारी कार्रवाई करने के लिए कालातीत होने से बचा जा सके।

### लेखापरीक्षा की सिफारिश पर वसूली

2.5 आयकर विभाग अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई गलतियों के परिशोधन के लिए उपचारी कार्रवाई करता है। आयकर विभाग ने गलतियों के परिशोधन के लिए की गयी मांगों से वसूलियां कीं। वि.व. 2017-18 से 2019-20 के दौरान की गयी वसूलियां नीचे चार्ट 2.2 में दी गयी हैं:



हमारे द्वारा बताई गई निर्धारणों में त्रुटियों का परिशोधन करने के लिए की गई मांगों से पिछले तीन वर्षों में आयकर विभाग ने ₹ 525.98 करोड़ की वसूली की। इसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में वसूली किए गए ₹ 235.12 करोड़ शामिल हैं।



## अध्याय III: निगम कर

### 3.1 परिचय

**3.1.1** इस अध्याय में 356 उच्च मूल्य के निगम मामलों (पैरा 2.3 देखें) पर चर्चा की गई है, जिसमें 368 निर्धारण और ₹ 12,476.53 करोड़<sup>48</sup> का कुल कर प्रभाव शामिल हैं, जिन्हें अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 2,571.55 करोड़ के कर प्रभाव वाले 152 मामलों को स्वीकार किया, ₹ 0.66 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले को आंशिक रूप से स्वीकार किया और ₹ 8,535.16 करोड़ के कर प्रभाव वाले 19 मामलों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि, 356 मामलों में से, आयकर विभाग ने ₹ 2,576.41 करोड़ के कर प्रभाव वाले 208 मामलों में उपचारी कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 619.25 करोड़ के कर प्रभाव वाले 74 मामलों में उपचारी कार्रवाई शुरू की है। आयकर विभाग ने 15 जुलाई 2021 तक शेष 74 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की है।

**3.1.2** त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूट/कटौती का प्रशासन
- चूक के कारण निर्धारण से छूट गयी आय
- अन्य-कर/ब्याज आदि का अधिप्रभार

बाद के पैराग्राफों में उपरोक्त त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी के कुछ सोदाहारण दिए गए हैं।

### 3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

**3.2.1** निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्धारण में त्रुटियां कीं। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग की ओर से आंतरिक नियंत्रणों में निरंतर कमजोरियों को इंगित करते हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों से जुड़े गलत निर्धारण के मामलों को कैलकुलेटर और आईटी सिस्टम के दिनों में केवल त्रुटियों के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है। इसके अलावा, कर और अधिभार की गलत दरों के लागू करने, धारा 220(2), 234ए, 234बी, 234सी

48 ₹ 112.16 करोड़ का अधिप्रभार शामिल है।

और 234डी के तहत ब्याज लगाने में गलतियां, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि निर्धारण अधिकारियों के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों को इंगित करते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह यह सुनिश्चित करे कि क्या ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टान्त की गई या हुई त्रुटियां हैं जिसमें की गई त्रुटियां वाले मामले में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नीचे तालिका 3.1 गलतियों की उप-श्रेणियों के विवरण को दर्शाती है (पैरा 2.3 देखें) जिसने निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता के तहत गलतियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंक-गणितीय त्रुटियां	31	193.29	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ख. कर और अधिभार की गलत दर को लागू करना	17	78.55	दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां	75	481.00	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	6	24.08	कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावी बनाते समय निर्धारण में त्रुटियां	5	42.00	दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।
<b>कुल</b>	<b>134</b>	<b>818.92</b>	

### 3.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

हमने 10 राज्यों में ₹ 193.29 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 31 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को देखा। हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय का सही निर्धारण करना और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि का निर्धारण करना होता है।

**मामला I सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-एलटीयू, चेन्नई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी (एओ) ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹ 238.71 करोड़ के अल्पावधि पूंजीगत हानि को अननुमत कर दिया, लेकिन आयकर गणना विवरण में उक्त अननुमत को वापस जोड़ने के लिए छोड़ दिया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 238.71 करोड़ का अवनिर्धारण किया गया जिसमें ₹ 71.61 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की जांच के लिए सहमति जताई (अगस्त 2018)।* हालांकि, की गई कार्रवाई की स्थिति, यदि कोई हो, प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 5, मुंबई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निवेश के गलत अथ/अन्त शेष को अपनाया और नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के तहत ₹ 114.31 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 11.43 करोड़ की अनुमति नहीं दी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 102.88 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण किया गया, जिसमें ₹ 31.79 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। आयकर विभाग/मंत्रालय से जवाब लगभग दो साल से प्रतीक्षित था (मई 2021)।

**मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 5, कोलकाता**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 191.44 करोड़ की सही आय के बजाय ₹ 170.30 करोड़ की आय की गणना की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 21.14 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया, जिसमें धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 9.73 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि अप्रैल 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा गया था।* हालांकि, ₹ 9.73 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला IV सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-V, हैदराबाद**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2016-17**

दिसंबर 2018 में निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पूरा हो गया था। निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य आय की गणना करते हुए गलत तरीके से परिचालन से होने वाली आय को ₹ 1.81 करोड़ के रूप में अपनाया, जो निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर के अनुसार ₹ 5.08 करोड़ के प्रति थी और कुल आय का अनुमान उसका 10 प्रतिशत लगाया गया। इसके अलावा ब्याज और विविध आय को मिलाकर ₹ 2.19 करोड़ की अन्य आय को भी पूर्ण आय मानने के बजाय उसका 10 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। त्रुटियों के परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण ₹ 6.87 करोड़ तक हो गया, जिसमें ₹ 2.27 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (जनवरी 2020) को स्वीकार किया और सितंबर 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती सुधारी।*

### **3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना**

हमने पांच राज्यों में ₹ 78.55 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों में कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना देखा। हमने दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

*अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, धारा 158बीसी के तहत निर्धारित ब्लॉक अवधि की कुल अघोषित आय, 60 प्रतिशत की दर पर कर को प्रभार्य होगी।*

**मामला I सीआईटी प्रभार : दिल्ली, सीआईटी केन्द्रीय-2**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : ब्लॉक अवधि 01.04.1990 से 14.02.2001**

निर्धारण अधिकारी ने जुलाई 2017 में कर देयता की गणना करते हुए 60 प्रतिशत की सही दर पर ₹ 91.63 करोड़ के बजाय 35 प्रतिशत की दर पर ₹ 53.45 करोड़ का कर लगाया था। इसके अलावा निर्धारण अधिकारी ने 13 प्रतिशत की दर पर ₹ 6.95 करोड़ का अधिभार भी लगाया था, हालांकि यह वसूली योग्य नहीं था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 31.23 करोड़ के कर का निवल कम उद्ग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा में देखा गया (फरवरी 2021) कि विभाग ने नवंबर 2020 में अधिनियम की धारा 263 के तहत त्रुटियों को सुधारा। हालांकि, ₹ 31.23 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि संबंधित वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 से संबंधित वित्त अधिनियम में विदेशी कंपनियों के मामले में 40 प्रतिशत की दर पर आयकर लगाने का प्रावधान है।

**मामला II सीआईटी प्रभार : सीआईटी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, नई दिल्ली**

**निर्धारिती का नाम : 'ए' विदेशी कंपनी**

**निर्धारण वर्ष : 2012-13 और 2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2016 और जनवरी 2017 में कर देयता की गणना करते हुए, 40 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण कर देयता की बजाय निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए मोटर रेसिंग ड्राइवरों के लिए भुगतान के प्रति ₹ 3.25 करोड़ और ₹ 8.75 करोड़ की प्राप्ति पर क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.98 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2019) कि गलती को सितंबर 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारा गया था। हालांकि, ₹ 4.98 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

### 3.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां

हमने 13 राज्यों में ₹ 481 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 75 मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां देखीं। हमने पांच निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूकों के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। धारा 234ए में एक विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि हेतु आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के संबंध में ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है। धारा 234बी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि हेतु अग्रिम कर के भुगतान में चूक के संबंध में ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। धारा 234सी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए पर अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के संबंध में ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। इसके अलावा, निर्धारण आदेश को पूरा करने का कार्य आयकर विभाग (आईटीडी) प्रणालियों में निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा किया जाता है।

**मामला I सीआईटी प्रभार : सीआईटी केन्द्रीय-3, दिल्ली**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में कर देयता की गणना करते हुए कर भुगतान के रूप में ₹ 65.66 करोड़ की कटौती की जबकि टीडीएस के रूप में केवल ₹ 100.94 लाख का भुगतान निर्धारिती द्वारा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने मई 2016 में निर्धारिती को जारी नोटिस का पालन नहीं करने के लिए अधिनियम की धारा 234ए(3) के तहत ₹ 1.30 करोड़ का ब्याज भी नहीं लगाया। इसके अलावा निर्धारण अधिकारी ने ₹ 58.35 करोड़ की सही राशि के बजाय अधिनियम की धारा 234बी के तहत ₹ 29.26 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहीत किया। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 95.04 करोड़ तक कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2019) और अक्टूबर 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटियों को सुधारा।* हालांकि, ₹ 95.04 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-I, कोलकाता**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारिती की कर मांग की संगणना करते हुए धारा 234बी के तहत ₹ 57.07 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 21.84 करोड़ का ब्याज लगाया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 35.23 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जारी होने के बाद जून 2019 में अधिनियम की धारा 154/144/147 के तहत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, ₹ 35.23 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला III सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में निर्धारिती की कर देयता की संगणना करते हुए ₹ 2.36 करोड़ की सही राशि के बजाय अधिनियम की धारा 234ए के तहत ₹ 15.53 लाख का ब्याज लगाया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.20 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। इसके अलावा निर्धारण



अधिकारी ने ₹ 26.34 करोड़ की सही राशि के बजाय धारा 234बी के तहत ₹ 3.83 करोड़ का ब्याज भी लगाया, जिसके परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 22.51 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। इस प्रकार, ब्याज का कुल कम उद्ग्रहण ₹ 24.71 करोड़ था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि मामलों को मैनुअल रूप से प्रसंस्करित किया गया था न कि एएसटी के माध्यम से। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की (जनवरी 2020) और अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, ₹ 24.71 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला IV सीआईटी प्रभार : सीआईटी (आईएनटीएल टैक्सेशन), बेंगलोर**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2008-09**

निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2018 में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए ₹ 23.91 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 9.77 करोड़ के ब्याज की गणना धारा 234बी के तहत की। निर्धारण अधिकारी ने टीडीएस क्रेडिट को अग्रिम कर के रूप में माना जिसे नहीं गिना जाना चाहिए था क्योंकि केवल टीडीएस वास्तव में जनवरी 2014 में कटौतीकर्ता द्वारा जमा किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 14.14 करोड़ का ब्याज कम उद्ग्रहीत हुआ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (मई 2020) को स्वीकार किया और मार्च 2020 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, ₹ 14.14 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला V सीआईटी प्रभार : सीआईटी केन्द्रीय-3, दिल्ली**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'एन' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारिती की कर देयता की संगणना करते हुए 81 महीनों के लिए ₹ 269.06 करोड़ के ब्याज की सही राशि के बजाय 47 महीने के लिए ₹ 156.12 करोड़ का ब्याज लगाया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 112.94 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना मार्च/अप्रैल 2019 में विभाग को दी गई थी। *विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती सुधारी गई।*

### 3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने तीन राज्यों में ₹ 24.08 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित छह मामलों को देखा। हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 234 डी में उन मामलों में ब्याज का उद्ग्रहण निर्धारित किया गया है जहां संक्षिप्त निर्धारण के दौरान जारी किए गए प्रतिदाय की राशि इस प्रकार प्रतिदाय की गयी अधिक राशि पर आधा प्रतिशत की दर से नियमित निर्धारण पर प्रतिदाय योग्य राशि से अधिक है। धारा 244ए में आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती को ब्याज का भुगतान उन मामलों में जारी किए जाने वाले प्रतिदाय पर आधा प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया है जहां निर्धारिती द्वारा अधिक कर का भुगतान किया गया था।

**मामला ।** सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी 1, मुंबई  
**निर्धारिती का नाम** : मेसर्स 'ए' लिमिटेड  
**निर्धारण वर्ष** : 2013-14

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2017 में ₹ 103.3 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती 23.10.2017 को ₹ 29.36 करोड़ के प्रतिदाय के लिए पात्र था। हालांकि संक्षिप्त निर्धारण के आधार पर 19.02.2015 को निर्धारिती को ₹ 108.55 करोड़ का प्रतिदाय जारी किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए प्रतिदाय प्रदान करने की तारीख (19.02.2015) तक की अवधि के लिए ₹ 3.37 करोड़ की सही राशि के बजाय धारा 244ए के तहत ₹ 8.07 करोड़ का ब्याज निर्धारण की तारीख (23.10.2017) तक प्रदान किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 244ए के तहत ब्याज अधिक प्रदान किया गया था। इसके अलावा, उद्ग्रहण न किए गए अधिक प्रतिदाय के लिए धारा 234डी के तहत ब्याज का उद्ग्रहण किया जाना था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.74 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। दोनों त्रुटियों पर ₹ 5.44 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा है। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (फरवरी 2021) को स्वीकार किया और जुलाई 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि सुधारी। हालांकि, ₹ 5.44 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

### 3.2.6 अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाते समय निर्धारण में त्रुटियां

हमने तीन राज्यों में ₹ 42 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े पांच मामलों में अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाते समय निर्धारण में त्रुटियां देखीं। हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 115-ओ के अनुसार, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए घरेलू कंपनी की कुल आय के संबंध में प्रभार्य आयकर के अतिरिक्त, पहली अप्रैल, 2003 को या उसके बाद लाभांश के माध्यम से चाहे चालू या संचित लाभों में से हो, ऐसी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि को अतिरिक्त आयकर को प्रभारित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना होता है और कर या प्रतिदाय जैसा भी मामला हो, की सही राशि का निर्धारण करना होता है।

**मामला । सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-2, कोलकाता**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2018 में अपील को प्रभावी बनाते समय निर्धारिती द्वारा पहले से भुगतान किए गए ₹ 38.69 करोड़ के लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का संज्ञान लिए बिना ₹ 131.25 करोड़ का प्रतिदाय उत्पन्न किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 38.69 करोड़ के प्रतिदाय का कम निर्धारण किया गया था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019)।* हालांकि, उपचारी कार्रवाई पूरी होने की स्थिति अभी तक प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

### 3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

**3.3.1 अधिनियम में अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की गणना करने व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारिती को रियायतों/छूट/कटौती अनुमत की गयी है।** हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने उन लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभों को अनियमित रूप से प्रदान किया था जो इसके हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएं आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रशासन में कमजोरियों को इंगित करती हैं, जिन्हें सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। नीचे तालिका 3.2 में उप-श्रेणियों का ब्यौरा दर्शाया गया है जिसने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 3.2: कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रशासन के तहत गलतियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं	टीई (₹ करोड़ में)	राज्य
क. मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि को अनुमत करने में अनियमितताएं	87	1,017.28	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

ख. अनियमित छूट/कटौती/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट	30	1,733.64	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
ग. कारोबार व्यय की गलत अनुमति	40	187.75	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
<b>कुल</b>	<b>157</b>	<b>2,938.67</b>	

### 3.3.2 कारोबार/पूँजीगत हानि के मूल्यहास और समंजन और अग्रणीत करने की अनुमति देने में अनियमितताएं

हमने 14 राज्यों में ₹ 1,017.28 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 87 मामलों में कारोबार/पूँजीगत हानियों के मूल्यहास और समंजन और अग्रणीत करने में अनियमितताओं को देखा। हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 में यह प्रावधान है कि, जहां शीर्ष 'कारोबार या पेशे का लाभ और अभिलाभ' के अन्तर्गत संगणना का निवल परिणाम निर्धारिती को हानि है और मूल्यहास सहित इस तरह की हानि को प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के तहत आय के प्रति पूरी तरह से समंजित नहीं किया जा सकता है, इतनी हानि जिसे समंजित नहीं किया गया है, उसे अगले निर्धारण वर्ष/वर्षों को अग्रणीत किया जाएगा ताकि कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ के प्रति समंजन किया जा सके।*

*सीबीडीटी के 11 सितंबर 2007 के अनुदेश संख्या 09/2007 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को प्रत्यक्ष अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा निर्धारण करने के समय आवश्यक सत्यापन करना चाहिए और अनवशोषित मूल्यहास सहित हानि से संबंधित दावों को निर्धारण अभिलेखों से संबंध किया जाना चाहिए ताकि अग्रणीत हानि और मूल्यहास के दावों की अनुमति की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए भी उपचारी कार्रवाई, जहां कहीं आवश्यक हो, शुरू की जानी चाहिए।*

**मामला । सीआईटी प्रभार : सीआईटी एलटीयू बेंगलोर**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2019 में संवीक्षा निर्धारण पूरा करते हुए निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक ₹ 468.85 करोड़ के अग्रणीत अनवशोषित मूल्यहास का समंजन अनुमत किया, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया था। पूर्व वर्षों के निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, केवल निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित ₹ 96.50 करोड़ की हानि निर्धारण वर्ष 2015-16 के दौरान समंजन के लिए उपलब्ध थी क्योंकि निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2014-15 के निर्धारण सकारात्मक आय पर पूरे किए गए थे।

इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 372.36 करोड़ की आय की कम संगणना हुई थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 186.91 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अप्रैल 2019) को स्वीकार किया और अप्रैल 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा। हालांकि, ₹ 186.91 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

अधिनियम की धारा 72ए में प्रावधान है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में संदर्भित औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली एक कम्पनी या एक बैंकिंग कम्पनी के एक विशिष्ट बैंक के साथ समामेलन के मामले में, समामेलक कम्पनी की संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास को पूर्ववर्ष, जिसमें समामेलन प्रभावी हुआ, के लिए समामेलित कम्पनी की हानि, या जैसा भी मामला हो, इसके अनवशोषित मूल्यहास के लिए अनुमत करना माना जाएगा। हानि के समंजन करने और अग्रणीत करने और मूल्यहास के लिए अनुमत करने से संबंधित इस अधिनियम के अन्य प्रावधान तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा धारा 72ए की उप-धारा 7 (एए) के अनुसार, औद्योगिक उपक्रम का अर्थ है कोई भी उपक्रम जो (i) माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण; या (ii) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विनिर्माण; या (iii) बिजली के उत्पादन या वितरण या किसी अन्य प्रकार की बिजली का कारोबार; या (iii) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का कारोबार, चाहे वह बुनियादी या सेलुलर हो, जिसमें रेडियो पेजिंग, धरेलू उपग्रह सेवा, ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं; या (iv) खनन; या (v) जहाजों, विमानों या रेल प्रणालियों का निर्माण कार्य में लगा हुआ है।

**मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 1, मुंबई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 266.05 करोड़ की अग्रणीत हानि के समंजन को अनुमत किया। उपरोक्त अग्रणीत हानि में ₹ 212.01 करोड़ की कारोबार हानियां और ₹ 50.90 करोड़ का अनवशोषित मूल्यहास शामिल थे जो संबंधित अवधि के दौरान निर्धारिती के साथ समामेलित कंपनी से संबंधित थे। इसके अलावा, ₹ 3.13 करोड़ के शेष हानि के समंजन के संबंध में कुछ भी अभिलेख में नहीं था। निर्धारिती मुद्रण और प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अवकाश उत्पादों के व्यापार, प्रसारण, निवेश और वित्तपोषण की गारंटी के कारोबार में लगा था, जबकि समामेलक कंपनी एक प्रसारण और टेलीविजन कंपनी थी। इस प्रकार, निर्धारिती धारा 72ए के तहत निर्धारित औद्योगिक उपक्रम की शर्त को पूरा नहीं कर रहा था, और यह बैंकिंग कंपनी भी नहीं थी। इसलिए, निर्धारिती के साथ समामेलन के अनुसार समामेलक कंपनी की ₹ 266.05 करोड़ की अग्रणीत हानियों के समंजन से उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 131.12 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 266.05 करोड़ तक आय का अवनिर्धारण हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना नवंबर/दिसंबर 2019 में विभाग को दी गई थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि यदि मूल्यहास सहित चालू वर्ष की हानि को प्रासंगिक वर्ष के किसी शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूरी तरह से समंजित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी हानि को 'कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ' के प्रति समंजन के लिए आगामी निर्धारण वर्षों को अग्रणीत किया जाएगा। इसके अलावा धारा 80 में प्रावधान है कि यदि आय की रिटर्न को निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है तो किसी भी हानि को अग्रणीत करने या समंजन करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

**मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 1, पटना**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए बाद के वर्षों में समंजन करने के लिए ₹ 385.39 करोड़ की हानि को अग्रणीत करने की अनुमति दी जिसमें निर्धारण वर्ष 2007-08, 2011-12 और 2014-15 से संबंधित ₹ 372.09 करोड़ की कारोबार हानि शामिल थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के बाद उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न को दाखिल किया था। इसलिए, ₹ 372.09 करोड़ की कारोबार हानि अग्रणीत करने के लिए अनुमय नहीं थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 126.47 करोड़ का संभावित कर प्रभाव पड़ा था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मई 2020) स्वीकार की और जनवरी 2021 में अधिनियम की धारा 263 के तहत त्रुटि को सुधारा।

**मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 8, मुंबई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15 और 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः ₹ 453.28 करोड़ और ₹ 34.98 करोड़ की हानि का समंजन अनुमत किया। हालांकि, केवल पहले के निर्धारण वर्षों से संबंधित ₹ 220.35 करोड़ की अग्रणीत हानियां समंजन के लिए उपलब्ध थीं। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 267.91 करोड़ (₹ 232.93 करोड़ + ₹ 34.98 करोड़) की हानि का अधिक समंजन हुआ, जिसमें ₹ 91.07 करोड़ (₹ 79.18 करोड़ + ₹ 11.89 करोड़)

का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2020) और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती सुधारी।*

### 3.3.3 अनियमित छूट/कटौती/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट

हमने आठ राज्यों में ₹ 1,733.64 करोड़ के कर प्रभाव वाले अनियमित छूटों/कटौतियों/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट से संबंधित 30 मामलों को देखा। हमने ऐसे पांच निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

*अधिनियम की धारा 32एसी (1) में पहली अप्रैल 2015 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए 31 मार्च, 2013 के बाद परन्तु पहली अप्रैल 2015 से पहले अधिग्रहीत और स्थापित की गई नई परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत की 15 प्रतिशत की कटौती करने का प्रावधान है, जो अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन अनुमत की गयी कटौती की राशि, यदि कोई हो, तक कम की जाएगी।*

**मामला I सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-II, हैदराबाद**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निवेश को अनुमत करने के प्रति ₹ 767.02 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। निर्धारिती बिजली उत्पादन के कारोबार में लगा हुआ था और विद्युत उत्पादन अधिनियम में कटौती के लिए निर्दिष्ट नहीं है। इस प्रकार निर्धारिती उक्त कटौती के लिए पात्र नहीं था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 767.02 करोड़ तक हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 260.71 करोड़ का संभावित कर प्रभाव था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जुलाई 2019) को स्वीकार किया और मई 2019 में अधिनियम की धारा 263 के तहत त्रुटि को सुधारा।*

*अधिनियम की धारा 115जेएए विशेष प्रावधानों के तहत कर के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर से अधिक होने पर एक निर्धारिती को मैट क्रेडिट को अग्रणीत करने की अनुमति देती है। हालांकि, इस तरह के क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर के अंतर तक ही सीमित होंगे।*

**मामला II सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी 6, चेन्नई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2019 में निर्धारण में सुधार करते हुए ₹ 323.66 करोड़ की अग्रणीत हानियों के समंजन की अनुमति दी और धारा 115जेबी के तहत खाता लाभ पर कर लगाया। हालांकि, केवल निर्धारण वर्ष

2012-13 और 2013-14 से संबंधित ₹ 239.74 करोड़ की अग्रेनीत हानि समंजन के लिए उपलब्ध थी। इस प्रकार, ₹ 83.92 करोड़ की हानि के अधिक समंजन के परिणामस्वरूप ₹ 28.52 करोड़ के मैट क्रेडिट के अग्रेनीत करने की गलत अनुमति मिली, जिसमें ₹ 28.52 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। अक्टूबर 2019 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना विभाग को दी गई थी। आयकर विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

**मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी -2, जयपुर**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारिती की कर देयता की संगणना करते हुए निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबंधित ₹ 101.59 लाख के मैट क्रेडिट की अनुमति दी थी। हालांकि, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2010-11 में सामान्य प्रावधान के तहत अंततः आयकर का भुगतान किया। इसलिए, अग्रेनीत करने के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.84 करोड़ के मैट क्रेडिट की गलत अनुमति दी गयी। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जून 2019) को स्वीकार किया और मई 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा। हालांकि, ₹ 1.84 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी -4, कोलकता**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए एक कम्पनी का निर्धारण अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 603.17 करोड़ की आय और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 435.91 करोड़ पर खाता लाभ निर्धारित करते हुए जनवरी 2016 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। बाद में समंजन के लिए निर्धारिती को उपलब्ध मैट क्रेडिट को सही करने के लिए सितंबर 2017 में निर्धारण में सुधार किया गया। तात्कालिक मामले में चूंकि सामान्य प्रावधानों के तहत लाभ पर कर से अधिक कर था, इसलिए अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर लगाया गया था। हालांकि, निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, निर्धारिती को अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण करने के बावजूद निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए मैट क्रेडिट की अनुमति दी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप मैट क्रेडिट को अनियमित अग्रेनीत किया गया था जिसमें ₹ 26.77 करोड़ का संभावित कर प्रभाव



शामिल था। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2018) कि जुलाई 2018 में धारा 154 के तहत गलती सुधारी गई थी।

**मामला V सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी - एलटीयू 2, मुम्बई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'आर' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 24.48 करोड़ की सीमा तक समायोजन करने के बाद दावे का पांचवां वर्ष होने के नाते धारा 10ए के तहत ₹ 7430.20 करोड़ (100 प्रतिशत) की कटौती की अनुमति दी थी। निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से लेखापरीक्षा में पाया गया कि रिफाइनरी ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से सुसंगत वित्तीय वर्ष 2008-09 में परिचालन (क्रूड प्रोसेसिंग) शुरू किया था और इसकी पुष्टि और प्रमाणन विकास आयुक्त, एसईजेड द्वारा 08-05-2009 को की गई थी। इसलिए, निर्धारण वर्ष 2014-15 प्रचालन का छठा वर्ष था और इसलिए, निर्धारिती निर्धारण वर्ष 2014-15 में लाभ के 50 प्रतिशत की दर से कटौती के लिए पात्र था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 3715.10 करोड़ तक आय का अवनिर्धारण हुआ था जिसमें ₹ 1262.76 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। डीसीआईटी (एलटीयू)-2, मुम्बई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए (जून 2019) बताया कि:

(क) निर्धारण वर्ष 2009-10 के दौरान, निर्धारिती ने नई रिफाइनरी इकाई की स्थापना के लिए परिचालनपूर्व खर्चों के प्रति कटौती का दावा किया था। इसके अलावा, परियोजना विकास व्यय को सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया था और परीक्षण के अनुसरण में रिफाइनरी एसईजेड से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी के कुछ हिस्से को पूँजीकृत किया था।

(ख) प्रपत्र 56एफ के अनुसार प्रारंभ करने की तिथि 01 अप्रैल 2009 प्रमाणित की गई थी।

(ग) रिफाइनरी में जटिल ढांचा होता है जिसमें सल्फर आदि को हटाने के लिए कच्चे आसवन, हाइड्रोट्रीटर जैसी इकाइयां शामिल होती हैं। रिफाइनरी का निरंतर परिचालन केवल तभी संभव है जब सभी इकाइयां अपने डिजाइन निष्पादन के स्तर के अनुसार सिद्ध हो और कार्य कर रही हों और मध्यवर्ती वस्तुओं का मात्र उत्पादन माल का विनिर्माण और उत्पादन नहीं होता है या स्थापित क्षमता से बहुत कम पर कार्य करना विनिर्माण नहीं माना जा सकता।

विभाग का तर्क निम्नलिखित आधारों पर स्वीकार्य नहीं है:

(i) किसी भी नए स्थापित उद्योग के लिए परिचालन के पहले वर्ष में अधिकांश व्यय को पूंजीकरण आवश्यक है। व्यय के पूंजीकरण का धारा 10ए के तहत कटौती के दावे से कोई संबंध नहीं है। एक बार जब निर्धारिती अधिनियम की धारा 10ए के प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर लेता है, तो वह कटौती के लिए पात्र होता है।

(ii) निर्धारिती ने विकास आयुक्त, एसईजेड को सूचित किया (जनवरी 2009) कि उसने 25 दिसंबर, 2008 से परिचालन (क्रूड प्रोसेसिंग) शुरू किया था और इसकी पुष्टि और प्रमाणन भी विकास आयुक्त, एसईजेड द्वारा किया गया था। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2008-09 को धारा 10ए के तहत कटौती के लिए दावे का पहला वर्ष माना जाना है। यह अर्थहीन है कि अन्य सभी इकाइयां चालू थीं या नहीं। यदि निर्धारिती का यह विचार था कि दिसंबर 2008 में रिफाइनरी का केवल परीक्षण कार्य शुरू किया गया था और रिफाइनरी को पूरी तरह से परिचालित करने के लिए सभी इकाइयों का स्थिरीकरण करना आवश्यक था, तो उन्हें दिसंबर 2008 में विकास आयुक्त एसईजेड को रिफाइनरी को चालू घोषित नहीं करना चाहिए था।

(iii) धारा 10ए परीक्षण और वाणिज्यिक उत्पादन में अंतर नहीं करती है। धारा में बताया गया है कि एक उस इकाई के संबंध में कटौती अनुमत की जाएगी जो किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन शुरू करती है।

(iv) विभाग ने दो अलग तारीखों का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया - पहला एसईजेड अधिनियम, 2006 के तहत उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए और दूसरा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कटौती का दावा करने के लिए।

(v) निर्धारिती द्वारा विकास आयुक्त, एसईजेड को प्रस्तुत किए गए प्रथम तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2010-11) की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) पर आधारित तुलनात्मक प्रवृत्ति विश्लेषण में परीक्षण उत्पादन के बजाय नियमित उत्पादन को दर्शाते हुए उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्शायी गयी है, जो इस बात का सूचक है कि रिफाइनरी दिसंबर 2008 में चालू थी। इसके अलावा, एपीआर के अनुसार, निर्धारिती ने तीन महीनों (जनवरी से मार्च 2009) के दौरान 18 देशों को परिष्कृत उत्पादों का निर्यात किया।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, परिचालन का छठा वर्ष होने के नाते निर्धारण वर्ष 2014-15 में 100 प्रतिशत की दर पर धारा 10ए के तहत कटौती की अनुमति निर्धारिती को अनुमेय नहीं थी और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय का प्रतिउत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

### 3.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने 12 राज्यों में ₹ 187.75 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े कारोबार व्यय की गलत अनुमति से संबंधित 40 मामलों को देखा। हमने नीचे तीन निदर्शी मामले दिए हैं:

अधिनियम की धारा 145 में यह प्रावधान है कि शीर्ष "कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" के तहत प्रभार्य आय की संगणना उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की नकदी या व्यापारिक प्रणाली के अनुसार की जाएगी। केवल उपचित या ज्ञात देयता के लिए लेखाओं में किया गया प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती है।

**मामला I सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-2, दिल्ली**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए "बिक्री कर मांग" और "संदिग्ध ऋण" के लिए क्रमशः ₹ 15 करोड़ और ₹ 84.31 करोड़ के प्रावधानों की अनुमति दी थी। चूंकि उपरोक्त व्यय अनिश्चित देयताओं का था, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 99.31 करोड़ की हानि का अधिक अग्रनयन हुआ था जिसमें ₹ 33.76 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी होने के बाद मार्च 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।

धारा 43 बी के तहत स्पष्टीकरण 3डी के अनुसार किसी भी राशि की कटौती की, इस धारा के खंड (ई) के तहत देय ब्याज होने के नाते अनुमति दी जाएगी यदि इस तरह के ब्याज का वास्तव में भुगतान किया गया है और उस खंड में संदर्भित कोई ब्याज, जिसे ऋण या अग्रिम में परिवर्तित कर दिया गया है, को वास्तव में भुगतान किया गया नहीं माना जाएगा।

**मामला II सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-V, हैदराबाद**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए "वित्त लागत" से संबंधित ₹ 96.70 करोड़ के खर्च की अनुमति दी थी। इसमें से ₹ 89.13 करोड़ को पूंजीकृत किया गया और अनुमोदित ऋण स्थगन अनुसूची के अनुसार देय होने के नाते अन्य वर्तमान देयताओं के तहत वर्गीकृत किया गया। इसलिए यह अनुमेय खर्च नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 89.13 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ था जिसमें ₹ 30.30 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने उत्तर दिया (जून 2020) कि दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण का पुनः निर्धारण करके गलती सुधारी गई थी।*

*अधिनियम की धारा 145 की उप धारा (1) के अनुसार, शीर्ष 'कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ' या 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत प्रभार्य आय की संगणना निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की नकदी या व्यापारिक प्रणाली के अनुसार की जाएगी। न्यायिक रूप से यह माना गया है<sup>49</sup> कि व्यापारिक लेखांकन प्रणाली के तहत पिछले वर्ष के समायोजन को चालू वर्ष में नहीं किया जा सका। इसके अलावा, धारा 37 के अनुसार, किसी भी व्यय को (धारा 30 से 36 में वर्णित स्वरूप का व्यय न होने के नाते और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय के स्वरूप का न होने के नाते), कारोबार या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्ययित "कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ" के तहत प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुमत किया जाएगा।*

**मामला III सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-III, हैदराबाद**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए दीर्घकालिक ऋण, वेतन और प्रोत्साहन और अन्य खर्चों पर ब्याज के प्रति ₹ 55.38 करोड़ के खर्च की अनुमति दी थी। चूंकि व्यय को पूर्व अवधि के खर्चों के तहत लाभ और हानि लेखा में डेबिट किया गया था, इसलिए वह अस्वीकार थे। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 55.38 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ था, जिसमें संभावित कर प्रभाव ₹ 18.82 करोड़ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जुलाई 2019) को स्वीकार किया और मई 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।*

### 3.4 त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय

**3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में वह सभी आय शामिल होगी जो किसी भी स्रोत से उपार्जित हो, वास्तव में प्राप्त हुई हो या उपचित हुई हो या प्राप्त या उपचित**

49 सीआईटी बनाम मेसर्स सदरन केबल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स (289 आईटीआर 167) (केरल उच्च न्यायालय)

होने वाली मानी गयी हो। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने उस कुल आय का या तो निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया जिस आय पर कर लगाया जाना अपेक्षित था। नीचे तालिका 3.3 में उप-श्रेणियों को दर्शाया गया है जिनके परिणामस्वरूप त्रुटियों के कारण निर्धारण से आय छूट गई।

तालिका 3.3: त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गई आय के तहत गलतियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं.	टीई (₹ करोड़ में)	राज्य
क. विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारण नहीं की गई/कम निर्धारण की गई आय	8	234.18	दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
ख. सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारण नहीं की गई/कम निर्धारण की गई आय	17	1,069.86	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल
ग. पूंजीगत अभिलाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	5	7,007.42	कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु
घ. आर्मस लेंथ प्राइस का गलत अनुमान लगाना	9	37.01	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना और दिल्ली
ङ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियां	6	13.70	हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और यूटी चंडीगढ़
च. उल्लेख न किए गए निवेश/नकद क्रेडिट	6	244.61	हरियाणा और महाराष्ट्र
<b>कुल</b>	<b>51</b>	<b>8,606.78</b>	

### 3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारण नहीं की गई/अवनिर्धारण की गयी आय

हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने चार राज्यों में ₹ 234.18 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आठ मामलों में विशेष प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं किया या आय का अवनिर्धारण किया। हमने ऐसा ही एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

*अधिनियम की धारा 115जेबी में खाता लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक दर (मैट) के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है यदि सामान्य प्रावधानों के तहत संगणित कुल आय पर देय आयकर मैट से कम है।*

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी - 3 राजकोट  
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर उद्ग्रहीत किया था। हालांकि, खाता लाभ पर देय कर सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारित आय पर देय कर से अधिक था। खाता लाभ पर कर प्रभारित करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी होने के बाद जून 2019 में धारा 154 के तहत त्रुटि सुधारी।* हालांकि, ₹ 2.97 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारण नहीं की गई/अवनिर्धारण की गयी आय**  
हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने छह राज्यों में ₹ 1,069.86 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 17 मामलों में सामान्य प्रावधानों के तहत या तो आय का निर्धारण नहीं किया या आय का अवनिर्धारण किया। हमने तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

*सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 10/2017 दिनांक 23 मार्च 2017 द्वारा स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2016 को विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि (एफसीटीआर) शेष, जो गैर एकीकृत परिचालनों के लिए मौद्रिक मदों पर विनिमय के अंतर से संबंधित है, को पूर्व में आय की संगणना में स्वीकार न की गयी सीमा तक निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए सुसंगत पूर्व वर्ष में स्वीकार किया जाएगा।*

**मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 2, मुम्बई**  
**निर्धारित का नाम : मेसर्स 'ए' बैंक**  
**निर्धारण वर्ष : 2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2019 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए सीबीडीटी के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि (एफसीटीआर) के तहत शेष को शामिल नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2238.55 करोड़ की कारोबार आय का अवनिर्धारण हुआ था जिसमें ₹ 774.72 करोड़ के कर (ब्याज को छोड़कर) का परिणामी कम उद्ग्रहण रहा। *विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 263 के तहत मार्च 2020 में सुधारा।* हालांकि, ₹ 774.72 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

*धारा 56(2) (viiबी) के अनुसार, जहां एक कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता अधिक रुचि रखती है, एक निवासी होने के नाते किसी व्यक्ति से किसी पूर्व वर्ष में शेयरों के निर्गम के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करता है, जोकि ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, तो ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य<sup>50</sup> से अधिक हो, वह अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के तहत आयकर को प्रभार्य होगा।*

50 नियम 11यू और 11यूप के अनुसार परिकलित

**मामला II सीआईटी प्रभार : सीआईटी सेंट्रल, लुधियाना**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए जारी किए गए 36,55,272 शेयरों के ₹ 32 प्रति शेयर के शेयर प्रीमियम के कारण कोई आय नहीं जोड़ी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 11.70 करोड़ तक आय की कम संगणना हुई थी जिसमें ₹ 4.02 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। जनवरी 2019 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना विभाग को दी गई थी। आयकर विभाग/मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

**मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 6, मुंबई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ई' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15 और 2015-16**

निर्धारिती कंपनी ने विद्युत संयंत्र के परीक्षण के दौरान बिजली उत्पादन शुरू किया और इस उत्पादित विद्युत की आपूर्ति से वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 344.51 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 126.67 करोड़ का निवल राजस्व अर्जित किया। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने इस राजस्व को संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की आय के रूप में निर्धारण करने के बजाय चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) से इस राजस्व को कम करने की निर्धारिती को अनुमति दी। संबंधित निर्धारण वर्ष की आय के रूप में विद्युत की आपूर्ति से अर्जित राजस्व का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2014-15 में ₹ 344.51 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2015-16 में ₹ 126.67 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया था जो क्रमशः ₹ 117.09 करोड़ और ₹ 43.05 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ है (कुल कम उद्ग्रहण ₹ 160.14 करोड़)। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2019) को स्वीकार किया था और बताया कि उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाएगी।* हालांकि उपचारी कार्रवाई पूरी होने की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

#### **3.4.4 पूंजीगत अभिलाभ की गलत संगणना/वर्गीकरण**

हमने चार राज्यों में ₹ 7007.42 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े पूंजीगत अभिलाभ के गलत संगणना/वर्गीकरण से संबंधित पांच मामलों को देखा। हमने ऐसा ही एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

धारा 50 में अवक्षयी परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत अभिलाभ की गणना की विधि निर्धारित की गई है। जहां परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर प्राप्त प्रतिफल का पूरा मूल्य पिछले वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य से अधिक है; इस तरह की अधिकता को अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला पूंजीगत अभिलाभ माना जाएगा।

**मामला । पीसीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-4, बंगलोर**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारितियों की संगणना को स्वीकार किया और एक भवन के ₹ 18.66 करोड़ के बिक्री प्रतिफल से ₹ 22.32 करोड़ के अधिग्रहण की लागत को कम किया और ₹ 3.65 करोड़ की अल्पावधि पूंजीगत हानि का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2012-13 में परिसंपत्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) शून्य था क्योंकि निर्धारिती ने इस पर मूल्यहास का दावा किया था। इस प्रकार, अधिग्रहण की लागत में कमी स्वीकार्य नहीं थी। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2012-13 के दौरान परिसंपत्तियों के ब्लॉक में ₹ 2.11 करोड़ के मूल्य की परिसंपत्ति को शामिल किया गया था और किए गए वर्धन पर मूल्यहास अनुमत करने के बाद, परिसंपत्तियों के ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी ₹ 1.90 करोड़ था। इस प्रकार, बिक्री प्रतिफल से परिसंपत्तियों के ब्लॉक के डब्ल्यूडीवी को कम करने के बाद, वास्तव में ₹ 3.65 करोड़ की पूंजीगत हानि के बजाय ₹ 16.76 करोड़ का अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ हुआ। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 16.76 करोड़ के अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की कम संगणना हुई थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 8 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। इसके अलावा ब्याज सहित ₹ 1.18 करोड़ के संभावित कर वाले ₹ 3.65 करोड़ की अल्पकालिक पूंजीगत हानि अनुमत की गयी। संचयी कर प्रभाव ब्याज सहित ₹ 9.18 करोड़ है। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और मई 2019 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत इसमें सुधार किया।* तथापि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

### 3.4.5 आर्म्स लेंथ प्राइस का गलत अनुमान लगाना

हमने दो राज्यों में ₹ 37.01 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आर्म्स लेंथ प्राइस के गलत अनुमान लगाने से संबंधित नौ मामलों को देखा। हमने ऐसा ही एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:



अधिनियम की धारा 92सी में प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस को किसी भी पद्धति, जो सबसे उपयुक्त विधि है, द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो लेन-देन की प्रकृति या लेन-देन की श्रेणी या संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों या ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में है जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।

**मामला । सीआईटी प्रभार : सीआईटी टीपीओ-2, दिल्ली**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15 और 2015-16**

ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) ने अक्टूबर 2017 और अक्टूबर 2018 में आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) का निर्धारण करते हुए कुल परिचालन आय में से उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 3.26 करोड़ और ₹ 19.35 करोड़ के विदेशी मुद्रा अभिलाभ को गैर-परिचालन आय होने के नाते बाहर नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 22.61 करोड़ (₹ 3.26 करोड़ और ₹ 19.35 करोड़) द्वारा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण का कम समायोजन किया गया था, जिसमें इन निर्धारण वर्षों के लिए ₹ 11.78 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जून 2020) को स्वीकार किया और दोनों निर्धारण वर्षों के लिए अगस्त 2019 में धारा 154 के तहत हुई त्रुटि को सुधारा। विभाग ने फरवरी 2020 में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अधिनियम की धारा 154 के तहत संशोधित टीपी समायोजन के आधार पर सुधार आदेश भी पारित किया।

#### 3.4.6 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के लागू करने में त्रुटियां

हमने पांच राज्यों में ₹ 13.70 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े छह मामलों में टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के लागू करने में त्रुटियां देखीं। हमने ऐसा ही एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना होता है और कर या प्रतिदाय, जैसा भी मामला हो, की सही राशि का निर्धारण करना होता है। धारा 40(ए) (i) उन खर्चों की गणना करती है जिनमें वे पेशेवर प्रभार शामिल हैं जिनका कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, यदि स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

**मामला । सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-4, बंगलोर**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए ₹ 13.45 करोड़ के खर्च को अननुमत नहीं किया। निर्धारण अधिकारी ने टीडीएस के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए पिछले वर्ष, (निर्धारण वर्ष 2013-14) में राशि के अननुमत होने के नाते ₹ 3.03 करोड़ की कटौती की आगे अनुमति दी। चूंकि इस वर्ष में भी ऐसे अननुमत करने के संबंध में कोई कर नहीं काटा गया था, इसलिए उक्त कटौती स्वीकार्य नहीं थी। इसके कारण ₹ 3.03 करोड़ की आय की और कम संगणना हुई। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 16.48 करोड़ (₹ 13.45 करोड़ + ₹ 3.03 करोड़) की आय की कम संगणना हुई थी, जिसमें ब्याज सहित ₹ 6.60 करोड़ का कर कम लगाया गया था {₹ 4.63 करोड़ (सकारात्मक) और ₹ 1.97 करोड़ (संभावित)}। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और अगस्त 2018 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटियों को सुधारा।* हालांकि मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

### 3.4.7 अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट

हमने दो राज्यों में ₹ 244.61 करोड़ के कर प्रभाव वाले अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट से संबंधित छह मामलों को देखा। हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

*अधिनियम की धारा 68 में यह प्रावधान है कि, यदि निर्धारिती द्वारा निर्धारिती की पुस्तकों में क्रेडिट की गई किसी भी राशि के स्वरूप और स्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार क्रेडिट की गई राशि को निर्धारिती की आय के रूप में आयकर को प्रभारित किया जा सकता है।*

**मामला । सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-6, मुंबई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

दिसंबर 2017 में निर्धारिती कंपनी का पुनः निर्धारण पूरा हुआ, जिसमें ₹ 112.52 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। पुनः निर्धारण आदेश में, निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2011-12 से सुसंगत वित्तीय वर्षों के दौरान निर्धारिती कंपनी द्वारा प्राप्त ₹ 580.22 करोड़ के शेयर प्रीमियम में से, ₹ 112.52 करोड़ का शेयर प्रीमियम, जो निर्धारण वर्ष 2011-12 से सुसंगत वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ था, को केवल उल्लेख न किए गए नकद क्रेडिट के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए प्रासंगिक वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 467.70 करोड़ के शेयर प्रीमियम को वापस शामिल नहीं किया गया था, जबकि इसे उल्लेख न किया गया नकद क्रेडिट

भी माना गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 467.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण के साथ ₹ 155.36 करोड़ के कर (ब्याज को छोड़कर) का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग/मंत्रालय की ओर से उत्तर पिछले तीन साल से प्रतीक्षित था (मई 2021)।

**मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए उल्लेख न किए गए नकद क्रेडिट के रूप में ₹ 6.45 करोड़ के दीर्घावधि उधार में से चालू वर्ष के ऋण से संबंधित केवल ₹ 1.43 करोड़ वापस जोड़ दिए गए। हालांकि, विभाग पहले के वर्षों से संबंधित ₹ 5.10 करोड़ के शेष उधार को जोड़ने में विफल रहा जबकि निर्धारिती द्वारा दीर्घकालिक उधार के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 5.10 करोड़ की आय का अवनियोजन हुआ जो ब्याज सहित ₹ 2.20 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2018) और अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई शुरू करने पर सहमति जताई।* हालांकि, उपचारी कार्रवाई पूरी होने की स्थिति अभी प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 9, मुंबई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'जी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**

दिसंबर 2017 में पुनः निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 249.06 करोड़ की उल्लेख न की गयी जमा राशि पर जांच रिपोर्ट में प्राप्त जानकारी पर चर्चा की जिसके लिए निर्धारिती निर्धारण अधिकारी को संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसलिए, अधिनियम की धारा 68 के तहत ₹ 249.06 करोड़ की उल्लेख न की गयी जमा राशि को आय के रूप में आंका जाना चाहिए था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी उल्लेख न की गयी जमा का निर्धारण और कर लगाने में विफल रहा। ऐसा न करने पर ₹ 249.06 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया जो ₹ 84.65 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2021) और बताया कि धारा 263 (फरवरी 2019) के तहत उपचारी कार्रवाई शुरू की जा रही थी।* हालांकि उपचारी कार्रवाई पूरी होने की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

### 3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ₹ 112.16 करोड़ के कर और ब्याज के अधिप्रभार से जुड़े 14 मामलों में निर्धारण अधिकारी ने आय का अधिक निर्धारण किया। हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

**मामला I सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 3, मुंबई**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में आय का पुनः निर्धारण करते हुए पिछले आदेश अर्थात् अप्रैल 2018 में सीआईटी (अपील) आदेश को प्रभावी बनाने के आदेश में निर्धारित ₹ 478.15 करोड़ की हानि के बजाय ₹ 225.08 करोड़ पर हानि को अपनाते हुए संगणना शुरू की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 253.06 करोड़ की हानि का अवनिर्धारण हुआ था जिसमें ₹ 82.11 करोड़ के कर का संभावित अधिक उद्ग्रहण शामिल था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नवंबर 2019 में जारी किया गया था। आयकर विभाग/मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

**मामला II सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी, कोच्चि-1**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2017 के संशोधित आदेश के अनुसार कर की मांग की संगणना करते हुए ₹ 2.31 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 4.36 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.05 करोड़ तक ब्याज का अधिप्रभार हुआ। *विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि जनवरी 2020 में अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती सुधारी गई थी।*

**मामला III सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी, कटक**  
**निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने, जनवरी 2018 में कर देयता की संगणना करते समय ₹ 4.17 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 8.10 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 3.93 करोड़ का अधिक ब्याज उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) तथा जून 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया।*

हालांकि, विभाग ने आगे बताया कि कर तथा ब्याज की संगणना आईटीबीए मॉड्यूल के माध्यम से की गई थी और निर्धारण अधिकारी का, अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत प्रभाय ब्याज को संशोधित करने के सिवाए निर्धारिती द्वारा देय कर की संगणना पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए, डीजीआईटी (प्रणाली) इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है।

2019 में विधिवत संशोधित सीबीडीटी की लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार, आय कर व्यवसायिक अनुप्रयोग (आईटीबीए) को शुरू कर दिया गया है तथा निर्धारण तथा अन्य सहायक कार्यों को आईटीबीए प्लेट फार्म पर किया जाना अपेक्षित है। आईटीबीए की शुरुआत के साथ, कार्य प्रवाह की प्रणाली पर पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा निगरानी की जाएगी और क्षेत्रीय संरचनाओं में प्रत्येक स्तर जवाबदेही स्थापित करेगा। इसलिए विभाग, प्रणाली के माध्यम से की गई संगणना में ऐसी त्रुटियों के लिए कारणों की जाँच कर सकता है और ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम और संगणना की सटीकता को सुनिश्चित करते समय ऐसी त्रुटियों के प्रति पर्याप्त जाँच तथा सुरक्षा प्रदान करता है।



## अध्याय IV : आयकर

### 4.1 परिचय

4.1.1 यह अध्याय ₹ 416.60 करोड़ के कुल कर प्रभाव के साथ 236<sup>51</sup> निर्धारणों सहित 221<sup>52</sup> उच्च राशि वाले गैर-निगमित मामलों (संदर्भ पैरा 2.3) की चर्चा करता है जिन्हें अगस्त 2020 से दिसम्बर 2020 के दौरान मंत्रालय को संदर्भित किया गया था। मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 256.00 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) वाले 104 मामलों को स्वीकार किया, ₹ 0.77 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) वाले एक मामले को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा ₹ 1.16 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि, 221 मामलों में से, निर्धारण अधिकारी ने, ₹ 376.14 करोड़ के कर प्रभाव वाले 192 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की तथा ₹ 25.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की। शेष 12 मामलों में आयकर विभाग ने 15 जुलाई 2021 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

4.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को निम्नानुसार व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारण की गुणवत्ता
- कर रियायत/छूट/कटौती का प्रशासन
- त्रुटियों के कारण आयकर से बचने वाले निर्धारण
- कर/ब्याज के अन्य अधिक प्रभार आदि।

आगामी पैराग्राफ उपरोक्त उल्लेखित त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी के कुछ उदाहरण देते हैं।

### 4.2 निर्धारण की गुणवत्ता

4.2.1 निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान को अनदेखा करते हुए निर्धारणों में त्रुटियां की। गलत निर्धारण के ये दो मामले, आईटीडी की ओर से आंतरिक नियंत्रणों में लगातार होने वाली कमियों को बताते हैं जिन्हें संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

---

51 236 निर्धारण मामलों में से, 227 मामलों में है ₹ 391.72 करोड़ का कम प्रभार शामिल है तथा नौ मामलों में ₹ 24.88 करोड़ का अधिक प्रभार शामिल है।

52 एक मामला (डीपी सं. 7-आईटी) कम निर्धारण तथा अधिक निर्धारण की दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत आता है तथा इसलिए इस अध्याय में इस मामले को दो उच्च राशि वाले मामलों के रूप में माना गया है; तथापि, वास्तव में 221 उच्च राशि वाले गैर कॉर्पोरेट मामलों को मंत्रालय को संदर्भित किया गया है।

निम्न तालिका 4.1 त्रुटियों की उप-श्रेणी को दर्शाती है जिसने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किए हैं।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			
उप-श्रेणियां	मामले	कर प्रभाव (करोड़ में)	राज्य
क. आय तथा कर की संगणना करने में अंकगणतीय त्रुटियां	8	97.88	दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ख. कर अधिभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	33	39.85	असम, यूटी-चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	123	187.24	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, यूटी-चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
घ. अपीलीय आदेश को प्रभावित करते समय निर्धारण में त्रुटियां	2	0.69	झारखंड और महाराष्ट्र
<b>कुल</b>	<b>166</b>	<b>325.66</b>	

#### 4.2.2 आय तथा कर की संगणना में अंकगणतीय त्रुटियां

हमने चार राज्यों में ₹ 97.88 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों में आय तथा कर की संगणना में अंकगणतीय त्रुटियों को पाया। हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

*आयकर अधिनियम, 1961 यह प्रावधान करता है कि निर्धारण अधिकारी, को निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करना अपेक्षित है तथा कर अथवा प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए, जैसा भी मामला हो।*

**मामला । सीआईटी प्रभार** : सीआईटी केन्द्रीय-3, दिल्ली  
**स्थिति** : व्यष्टि  
**निर्धारण वर्ष** : 2011-12 से 2015-16

निर्धारण अधिकारी, ने दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, त्रुटिपूर्वक, प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अदत्त कर की राशि के लिए निर्धारिती को क्रेडिट अनुमत किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 45.60 करोड़ के अदत्त करों का अनुचित क्रेडिट हुआ। इसके अलावा,



निर्धारण अधिकारी ने कथित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर) की देरी/गैर-दाखिल करने के लिए ₹ 22.52 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 68.12 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (नवम्बर 2019) को स्वीकार किया तथा बताया कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अक्टूबर 2019 में गलतियों का सुधार किया गया था। हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-19, मुम्बई**  
**स्थिति : फर्म**  
**निर्धारण वर्ष : 2009-10**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 12.24 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 0.41 करोड़ पर निर्धारिती की आय पर कर की संगणना की। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 11.83 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। *विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति का अक्टूबर 2019 में सुधार किया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित है (मई 2021)।

**मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी (छूट), भोपाल**  
**स्थिति : एओपी (ट्रस्ट)**  
**निर्धारण वर्ष : 2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 3.93 करोड़ की निर्धारित आय के स्थान पर ₹ 1.56 करोड़ की आय पर कर उद्ग्रहित किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.08 करोड़ के कम कर के उद्ग्रहण के साथ ₹ 2.36 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को मई 2019 में सुधार लिया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतिक्षित थी (मई 2021)।

**मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, दिल्ली**  
**स्थिति : फर्म**  
**निर्धारण वर्ष : 2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने, फरवरी 2019 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 115.53 करोड़ की सही भुगतान योग्य मांग के स्थान पर ₹ 103.22 करोड़ पर निर्धारिती द्वारा भुगतान योग्य मांग की गलत रूप से संगणना की थी।

इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 12.31 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। इसके अलावा, मामलों को मैनुअल रूप से प्रसंस्करित किया गया था न कि एएसटी के माध्यम से। *विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को जुलाई 2019 में सुधार लिया गया था।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतिक्षित थी (मई 2021)।

#### 4.2.3 कर तथा अधिभार आदि की गलत दरो का प्रयोग

हमने नौ राज्यों में ₹ 39.85 करोड़ के कर प्रभाव वाले 33 मामलों में कर तथा अधिभार की गलत दरों का प्रयोग पाया। हम ऐसे चार निदर्शी मामले को नीचे दे रहे हैं।

*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) यह प्रावधान करती है कि आयकर, संबंधित वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती पूर्व वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है।*

**मामला । सीआईटी : सीआईटी केन्द्रीय 2, दिल्ली**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में कर माँग की संगणना करते समय, 60 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 30 प्रतिशत की दर पर ₹ 14.12 करोड़ की अघोषित आय पर कर प्रभारित किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने, 25 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 15 प्रतिशत की दर से कर पर अधिभार उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 7.36 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नवम्बर 2019 में सुधार लिया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी। (मई 2021)।

*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) यह प्रावधान करती है कि आयकर, संबंधित वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, कोई निर्धारिती पूर्व वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है। वित्त अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के निकायों के मामलों में संगणना की गई आयकर की राशि चाहे वह निगमित हो या नहीं अथवा प्रत्येक कृत्रिम क्षेत्राधिकार वाला व्यक्ति, सहकारी समिति, फर्म और स्थानीय प्राधिकरण कुल मिला कर ₹ एक करोड़ से अधिक की आय पर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ऐसे आय कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार की वृद्धि की जाएगी।*

**मामला II सीआईटी प्रभार : सीआईटी (छूट) बेंगलुरु**  
**स्थिति : एओपी (ट्रस्ट)**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय कर पर 10 प्रतिशत की लागू दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.20 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग/मंत्रालय का प्रतिउत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।*

**मामला III सीआईटी प्रभार : सीआईटी (छूट), कोच्ची**  
**स्थिति : कृत्रिम क्षेत्राधिकार वाला व्यक्ति**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय कर पर 10 प्रतिशत की लागू दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 94.13 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को दिसम्बर 2019 में सुधार कर लिया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र सीआईटी-12, मुंबई**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में पुनर्निर्धारण आदेश में कर की माँग की संगणना करते समय, धारा 68 के तहत अघोषित आय पर 30 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 20 प्रतिशत की दर पर कर प्रभारित किया। इसके अलावा, मार्च 2014 में पूर्ण किए गए वास्तविक निर्धारण के दौरान ₹ 6.98 लाख तक की राशि को नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के अन्तर्गत अननुमत किया गया जिसे पुनः निर्धारण के दौरान कुल आय की संगणना करते समय पुनः जोड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज सहित ₹ 4.99 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि अक्टूबर 2019 में लेखापरीक्षा आपत्ति को सुधार लिया गया था।* हालांकि माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

#### 4.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां

हमने 16 राज्यों में ₹ 187.24 करोड़ के कर प्रभाव वाले 123 मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों को पाया। हमने अपनी अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसी त्रुटियों को लगातार उजागर किया है। जैसे, यह एक पुनरावर्ती और निरंतर होने वाली त्रुटि है। हमने ऐसे 15 निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

*आयकर अधिनियम, 1961 समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान करता है। धारा 234ए निर्दिष्ट दरों पर तथा निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के परिणाम स्वरूप ब्याज उद्ग्रहण का प्रावधान करती है। धारा 234बी और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है। धारा 234सी निर्दिष्ट समय अवधि के लिए और निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम कर की किश्तों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है।*

**मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, भुवनेश्वर**  
**स्थिति : फर्म**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15 से 2017-18 तक**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक के लिए ₹ 3.35 करोड़ तक की राशि समेकित करते हुए धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके अलावा निर्धारण अधिकारी ने, ₹ 25.38 करोड़ के उद्ग्रह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 5.21 करोड़ (चार निर्धारण वर्षों के लिए) पर ब्याज उद्ग्रहित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.17 करोड़ का कम ब्याज उद्ग्रहण किया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने, ₹ 89.50 लाख के उद्ग्रह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 2.81 करोड़ (चार निर्धारण वर्षों के लिए) पर ब्याज उद्ग्रहित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। उपरोक्त त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 21.60 करोड़ के समेकित ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2020) और फरवरी 2020 में निर्धारण वर्ष 2014-15, जनवरी 2020 में निर्धारण वर्ष 2015-16, दिसम्बर 2020 में निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा जनवरी 2020 में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए गलती में सुधार किया। हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

**मामला II सीआईटी प्रभार : सीआईटी केन्द्रीय-3, दिल्ली**  
**स्थिति : व्यक्ति**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 12.68 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के प्रति धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 7.32 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को अगस्त 2019 में सुधार लिया गया था।* हालांकि माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, दिल्ली**  
**स्थिति : व्यक्ति**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, 93 महीनों के लिए ₹ 18.72 करोड़ के उद्ग्रहाय ब्याज के स्थान पर 24 माहीनों के लिए ₹ 4.83 करोड़ पर धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके अलावा, विभाग द्वारा 234सी के अन्तर्गत उद्ग्रहित ₹ 74.48 करोड़ का ब्याज निर्धारिती पर लागू करने योग्य नहीं था जैसाकि निर्धारिती द्वारा आय की रिटर्न दाखिल नहीं की गई थी। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 13.14 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा नवम्बर 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया।* हालांकि माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी। (मई 2021)।

**मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-1, कोल्हापुर**  
**स्थिति : व्यक्ति**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 13.22 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 1.22 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 12 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा जनवरी 2019 में सुधारात्मक कार्रवाई की।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला V सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, दिल्ली**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने, नवम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 9.19 करोड़ के उद्ग्रह्य ब्याज के प्रति धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.40 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 36.94 लाख का ब्याज त्रुटिपूर्वक प्रभारित किया गया था। यद्यपि आय की रिटर्न निर्धारिती द्वारा दाखिल नहीं की गई थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 6.42 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा नवम्बर 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया।* हालांकि, सुधारात्मक आदेश पारित करते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 8.79 करोड़ के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 8.59 करोड़ का गलत रूप से उद्ग्रहण किया। जैसाकि अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अन्तर्गत निर्धारण आदेश में पहले प्रभारित किया था। हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला VI सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-1, सूरत**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 5.04 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को अप्रैल 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधार लिया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला VII सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-22, दिल्ली**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2009-10**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 6.45 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके अलावा धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 26.83 लाख का ब्याज निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्वक प्रभारित किया गया, यद्यपि आय की रिटर्न निर्धारिती द्वारा दाखिल नहीं की गई थी। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 6.19 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि*

लेखापरीक्षा आपत्ति अगस्त 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधार ली गई थी। हालांकि सुधार आदेश पारित करते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के गलत उद्ग्रहण की गलती का सुधार नहीं किया। इसके अलावा, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला VIII सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, विजयवाड़ा**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2007-08**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, धारा 234ए तथा 234बी के अन्तर्गत प्रणाली द्वारा की गई ब्याज की गलत संगणना का सुधार करने में विफल रहा। आयकर प्रणाली ने धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 0.06 करोड़ के मुकाबले ₹ 0.94 करोड़ तथा धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.05 करोड़ के मुकाबले ₹ 0.08 करोड़ पर ब्याज की संगणना की। प्रणाली द्वारा किए गए ब्याज की संगणना को सही करने की निर्धारण अधिकारी की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.85 करोड़ ब्याज की राशि का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा जून 2019 में गलती का सुधार किया।* हालांकि, माँग के संग्रहण को स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला IX सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, दिल्ली**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 7.82 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 7.73 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने, ₹ 8.17 करोड़ उद्ग्रहाह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.11 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 32.51 लाख का ब्याज त्रुटिपूर्वक प्रभारित किया, यद्यपि निर्धारिती द्वारा आय की रिटर्न दाखिल नहीं की गई थी। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 5.83 करोड़ ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा नवंबर 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया।* हालांकि सुधारात्मक आदेश को पारित करते समय निर्धारण अधिकारी ने, पुनः ₹ 7.81 करोड़ के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 7.64 करोड़ का ब्याज गलत रूप से उद्ग्रहित किया। माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला X सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-13, कोलकाता**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2012-13**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 2.25 करोड़ की राशि का धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को मार्च 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधारा गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला XI सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), कानपुर**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 1.64 करोड़ की उद्ग्रह्य राशि के स्थान पर ₹ 31.08 लाख पर धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज उद्ग्रहित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 1.33 करोड़ ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नवम्बर 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधारा गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला XII सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी -18, दिल्ली**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 9.52 करोड़ के उद्ग्रह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 85.55 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 8.66 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को फरवरी 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधारा गया था।* हालांकि, फरवरी 2019 में सुधारात्मक आदेश पारित करते समय, निर्धारण अधिकारी ने, पुनः ₹ 9.52 करोड़ के उद्ग्रह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 9.30 करोड़ का ब्याज गलत रूप से उद्ग्रहित किया। इसके अलावा धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 39.57 लाख का ब्याज भी गलत रूप से प्रभारित किया। हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।



**मामला XIII सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-1, चेन्नई**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 1.21 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 4.1 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 1.17 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा जनवरी 2021 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया गया।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला XIV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-2, रायपुर**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 38.85 लाख के ब्याज का गैर-उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया (अक्टूबर 2019) कि सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।* हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला XV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी केन्द्रीय, कानपुर**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12**

निर्धारण अधिकारी ने, जुलाई/अगस्त 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 1.78 करोड़, ₹ 0.91 करोड़ तथा ₹ 1.01 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के प्रति धारा 234ए(1) के अन्तर्गत ₹ 0.0048 लाख, ₹ 0.0038 लाख तथा शून्य ब्याज उद्ग्रहित किया। गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 3.70 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया (मई 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को अप्रैल 2019 में सुधार लिया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

#### 4.2.5 अपीलीय आदेशों को प्रभाव देते समय निर्धारण में त्रुटियां

हमने दो राज्यों में, ₹ 0.69 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में अपीलीय आदेशों को प्रभाव देते समय निर्धारणों में त्रुटियों को पाया। हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254 यह प्रावधान करती है कि अपीलीय न्याधिकरण, अपील के दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसाकि वह उचित समझे। इसके अलावा, आयकर विभाग के कार्यालयी प्रक्रिया नियमावली (खंड-II, तकनीकी) के अध्याय 18 के पैरा 24.1 में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में अपीलीय आदेश प्राप्त होने पर, आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्धारण को संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

**मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, रांची**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2009-10**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में अपीलीय आदेश को प्रभाव देते समय, ₹ 1.10 करोड़ की उद्ग्राह्य राशि के स्थान पर ₹ 66.43 लाख के कर की त्रुटिपूर्वक संगणना की। इस चूक के परिणामस्वरूप, ब्याज सहित ₹ 43.70 लाख के कर का कम उद्ग्राहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को अक्टूबर 2017 में सुधारा गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

#### 4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

**4.3.1** यह अधिनियम, अध्याय VI-ए के अन्तर्गत कुल आय की संगणना करने में तथा इससे संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारिती को रियायत/छूट/कटौती को अनुमत करता है। हमने यह पाया कि, निर्धारण अधिकारी ने, अयोग्य लाभकर्ताओं को कर रियायत/छूट/कटौती के अनियमित लाभों को विस्तारित किया। निम्न तालिका 4.2 उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसमें कर रियायत/छूट/कटौती को प्रभावित किया है।

तालिका 4.2: कर रियायत/छूट/कटौती के प्रशासन के अन्तर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	02	1.66	गुजरात
ख. एओपी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	03	2.85	यूटी-चंडीगढ़, गुजरात और ओडिशा
ग. करोबार व्यय की गलत अनुमति	02	1.11	महाराष्ट्र और ओडिशा
घ. मूल्यहास/करोबार हानि/पूँजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं	11	27.83	दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु
<b>कुल</b>	<b>18</b>	<b>33.45</b>	

#### 4.3.2 व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

हमने एक राज्य में ₹ 1.66 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत को पाया। हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 10(37) के अनुसार एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते, पिछले वर्ष की कुल आय की संगणना करने में, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर आने वाली कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय को शामिल नहीं किया जाएगा- (i) ऐसी भूमि किसी भी क्षेत्र में स्थित है जिसे उप-खंड के मद (ए) या मद (बी) iii) धारा 2 के खंड (14) में संदर्भित किया गया है। (ii) ऐसी भूमि, हस्तांतरण की तारीख से तत्काल दो वर्षों की अवधि के दौरान, ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति या उसके माता-पिता द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही थी; (iii) इस तरह का हस्तांतरण किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से होता है, या एक हस्तांतरण है जिसके लिए विचार केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया जाता है; (iv) ऐसी आय 1 अप्रैल, 2004 के पहले दिन या उसके बाद ऐसे निर्धारिती द्वारा प्राप्त ऐसे हस्तांतरण के लिए मुआवजे या विचार से उत्पन्न हुई है।

**मामला । सीआईटी प्रभार** : प्र. सीआईटी-5, अहमदाबाद  
**स्थिति** : व्यष्टि  
**निर्धारण वर्ष** : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, निर्धारिती को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त लाभ के कारण ₹ 2.75 करोड़ तक की राशि की छूट को अनुमत किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 85.24 लाख के कम कर के उद्ग्रहण के परिणाम के साथ ₹ 2.62 करोड़ का दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ का

निर्धारण हुआ। विभाग ने सूचित किया (मार्च 2021) कि धारा 263 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

#### 4.3.3 एओपी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

हमने, तीन राज्यों में ₹ 2.85 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में एओपी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत को पाया। हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित बैंक द्वारा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध (भारत के बाहर देश के कानून द्वारा या उसके तहत शामिल बैंक नहीं होना) या प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा एक गैर-अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक, इस खंड और अध्याय VI के तहत कोई कटौती करने से पहले संगणना की गई कुल आय का 7.5 प्रतिशत से अधिक राशि और निर्धारित तरीके से संगणना किए गए ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिम के 10 प्रतिशत से अधिक राशि को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, कटक  
स्थिति : कॉर्पोरेटिव सोसाइटी  
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, नवम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 1.28 करोड़ के अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों को स्वीकृत किया जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया। हालांकि, निर्धारिती, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल ₹ 12.08 लाख की कटौती के लिए योग्य था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 54.97 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 1.16 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने सूचित किया (मार्च 2019) कि अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई थी। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

#### 4.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने दो राज्यों में ₹ 1.11 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में कारोबार व्यय की गलत अनुमति को पाया। हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 37(1) के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं है और पूंजीगत व्यय निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं है), पूरी तरह से निर्धारित या व्यय किया गया है और विशेष रूप से कारोबार या पेशे के प्रयोजनों के लिए, "कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत प्रभाष्य आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

**मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 19, मुम्बई**  
**स्थिति : फर्म**  
**निर्धारण वर्ष : 2009-10**

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विशिष्ट पार्टियों से की गई खरीद को अननुमत किया क्योंकि ये पार्टियां आवास प्रविष्टियां उपलब्ध कराने में शामिल थीं। हालांकि, निर्धारण अधिकारी श्रम प्रभारों के लिए उन्हीं पार्टियों को भुगतान किए गए ₹ 74 लाख के व्यय को अननुमत करने में विफल रहा क्योंकि पार्टियां कोई वास्तविक कारोबार नहीं कर रही थीं। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 48.55 लाख के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 74 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अक्टूबर 2019 में धारा 154 के अधीन गलती को सुधारा। हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

#### 4.3.5 मूल्यहास/कारोबार हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएं

हमने सात राज्यों में ₹ 27.83 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों में मूल्यहास/कारोबार हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताओं को पाया। हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं।

सीबीडीटी ने निर्देश सं. 09/2007 दिनांक 11.09.2007 द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बोर्ड के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें मूल्यहास की गलत अनुमति अग्रणी हानि के गलत समंजन के कारण राजस्व की पर्याप्त हानि हुई है। इसलिए, निर्धारण अधिकारियों को भौतिक अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा निर्धारण करते समय आवश्यक सत्यापन करना चाहिए और अनावशेषित मूल्यहास सहित हानियों से संबंधित दावों को निर्धारण अभिलेखों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि अग्रणी हानियों और मूल्यहास के दावों की अनुमति की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।

**मामला I सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी केन्द्रीय, बेंगलुरु**  
**स्थिति : फर्म**  
**निर्धारण वर्ष : 2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में अग्रेषित हानि के समंजन की अनुमति दी यद्यपि उस निर्धारण वर्ष के लिए कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 12.32 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 26.44 करोड़ की हानि का अधिक समंजन हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अक्टूबर 2019 में धारा 154 के तहत गलती को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

*अधिनियम की धारा 32 में प्रावधान है कि यदि परिसंपत्तियों के ब्लॉक के अंदर आने वाली कोई परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष के दौरान अधिग्रहित की जाती है और यह, उस पिछले वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए कारोबार या पेशे के उद्देश्य के लिए उपयोग में लायी जाती है, ऐसी परिसंपत्तियों से संबंध में कटौती, ऐसी परिसंपत्ति वाले परिसंपत्तियों के ब्लॉक के मामले में निर्धारित प्रतिशत पर गणना की गई राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।*

**मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-II भुवनेश्वर**  
**स्थिति : एओपी**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 12.27 करोड़ के मूल्यहास की उपलब्ध राशि के बजाय ₹ 19.17 करोड़ तक की राशि की परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की अनुमति प्रदान की। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.75 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 6.90 करोड़ के अधिक मूल्यहास की अनुमति दी गई। *विभाग ने सूचित किया कि जून 2019 में धारा 154 के तहत लेखापरीक्षा आपत्ति को सुधारा गया था।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

**मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, मुम्बई**  
**स्थिति : फर्म**  
**निर्धारण वर्ष : 2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित ₹ 23.60 करोड़ की अग्रेषित हानि के

समंजन की अनुमति प्रदान की यद्यपि निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए उपलब्ध हानि केवल ₹ 13.56 करोड़ थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 10.04 करोड़ के अग्रेणित हानि के समंजन की अधिक अनुमति दी गई और फलस्वरूप ₹ 3.41 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 10.04 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि गलती स्पष्ट थी और फरवरी 2020 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की थी। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

#### 4.4 त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय

4.4.1 यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए व्यक्ति की कुल आय में सभी आय शामिल होगी, चाहे किसी स्रोत से प्राप्त हुई हो, वास्तव में प्राप्त हुई हो या उपार्जित हुई या प्राप्त हुई या उपार्जित समझी जाए। हमने यह देखा कि निर्धारण अधिकारी ने उस कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया जो कर के लिए प्रस्तावित की जानी थी। नीचे दी गई तालिका 4.3 उप श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप आय, निर्धारण से छूट गई।

तालिका 4.3: त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूटने वाली आय के तहत त्रुटियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	05	8.26	आंध्र प्रदेश, यूटी-चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान
ख. आय की गलत संगणना	19	19.36	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ग. टीडीएस/टीसीएस के कार्यान्वयन प्रावधानों में त्रुटियां	01	0.19	झारखंड
घ. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट	04	4.80	हरियाणा और महाराष्ट्र
<b>कुल</b>	<b>29</b>	<b>32.61</b>	

#### 4.4.2 पूंजीगत लाभों की गलत वर्गीकरण और संगणना

हमने, पांच राज्यों में ₹ 8.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले पांच मामलों में पूंजीगत लाभ की गलत वर्गीकरण और संगणना को पाया। हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 एफ यह प्रावधान करती है कि जहां आवासीय घर न होते हुए किसी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ और निर्धारिती के पास, उस तिथि से एक वर्ष पूर्व या दो वर्ष के बाद की अवधि के भीतर जिसमें हस्तांतरण हुआ, खरीदा गया, अथवा उस तिथि के बाद तीन वर्षों की अवधि के भीतर एक आवासीय घर का निर्माण किया गया, इस प्रकार उत्पन्न पूंजीगत लाभ की राशि को कुछ शर्तों के अधीन कर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, गुंटूर  
स्थिति : व्यष्टि  
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में खाली निर्माण स्थल की खरीद में निवेश के लिए निर्धारिती को ₹ 14.34 करोड़ की कटौती की अनुमति प्रदान की। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.10 करोड़ के कर को पारिणामिक कम उदग्रहण के साथ ₹ 14.34 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और दिसम्बर 2018 में धारा 147 के तहत गलती को सुधारा। हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

#### 4.4.3 आय की गलत संगणना

हमने 10 राज्यों में ₹ 19.36 करोड़ के कर प्रभाव वाले 19 मामलों में आय की गलत संगणना देखी । हमने तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 143(3) यह प्रावधान करती है कि संवीक्षा निर्धारण में निर्धारण अधिकारी (ऐओ) को चाहिए कि वह निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करें और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे प्रतिदाय योग्य सही राशि को निर्धारित करें। धारा 56(2)(vii)(ख) यह प्रावधान करती है कि जहां एक व्यक्ति प्रतिफल के लिए किसी अचल संपत्ति से आय प्राप्त करता है जो कि पचास हजार रुपये से अधिक राशि तक की स्टॉम्प शुल्क मूल्य से कम की संपत्ति होती है, ऐसी संपत्ति का स्टॉम्प शुल्क मूल्य, जैसा कि ऐसे प्रतिफल से अधिक होती है, अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के तहत आयकर के लिए प्रभारित होगी।



**मामला I सीआईटी प्रभार** : प्र. सीआईटी-1, कानपुर  
**स्थिति** : व्यष्टि  
**निर्धारण वर्ष** : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, नवम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय संपत्ति के स्टॉम्प शुल्क मूल्य के अनुसार और विक्रय विलेख के अनुसार संपत्ति का मूल्य राशि के अंतर को पुनः नहीं जोड़ा। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.17 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 9.29 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को दिसम्बर 2019 में धारा 147/143(3) के तहत सुधार लिया था। हालांकि मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

**मामला II सीआईटी प्रभार** : प्र. सीआईटी केन्द्रीय-2, दिल्ली  
**स्थिति** : व्यष्टि  
**निर्धारण वर्ष** : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय आवास प्रविष्टियों के तहत किए गए ₹ 4.66 करोड़ की वृद्धि को शामिल नहीं किया जिसकी चर्चा, निर्धारण आदेश में की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.31 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित समान राशि तक की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नवम्बर 2019 में धारा 154 के तहत सुधार लिया था। हालांकि मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

**मामला III सीआईटी प्रभार** : पीसीआईटी, उदयपुर  
**स्थिति** : फर्म  
**निर्धारण वर्ष** : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, नवम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय संपत्ति के स्टॉम्प शुल्क मूल्य और विक्रय विलेख के अनुसार संपत्ति मूल्य के अनुसार राशि के अंतर को पुनः नहीं जोड़ा। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.28 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 9.51 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्धारिती को धारा 148 के तहत मई 2019 में नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

#### 4.4.4 टीडीएस/टीसीएस के कार्यान्वयन प्रावधानों में त्रुटि

हमने झारखंड राज्य में ₹ 0.19 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले में टीडीएस/टीसीएस के कार्यान्वयन प्रावधानों में त्रुटियों को पाया। निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 194सी के अनुसार, यदि किसी राशि को, मालवाहक को चलाने के लिए किराए पर या पट्टे पर लेने वाले वाहनों के कारोबार के दौरान उप-ठेकेदार को भुगतान किया जाता है तो किसी कर की कटौती नहीं होगी यदि (क) पिछले वर्ष किसी भी समय पर उप-ठेकेदार के पास दस मालवाहक से ज्यादा उपलब्ध नहीं थे, (ख) उप-ठेकेदार ने फॉर्म सं. 151 में भुगतानकर्ता को एक घोषणा प्रस्तुत की हो और (ग) भुगतानकर्ता ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून तक या उससे पूर्व फॉर्म सं. 151 में नामित सीआईटी को उपरोक्त भुगतान के विवरण प्रस्तुत किए हो।

**मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, राँची**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने, मार्च 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय परिवहन प्रभार के प्रति ₹ 46.51 लाख का खर्च त्रुटिपूर्ण अनुमत किया जिस पर निर्धारिती ने स्रोत (टीडीएस) पर कर की कटौती नहीं की थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 19.41 लाख के कर प्रभाव सहित समान राशि तक खर्च की अनियमित अनुमति दी गई। विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नवम्बर 2018 में धारा 147/143(3) के तहत सुधारा। हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

#### 4.4.5 अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट

हमने दो राज्यों में ₹ 4.80 करोड़ के कर प्रभाव वाले अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट से संबंधित चार मामलों को पाया। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 यह प्रावधान करती है कि जहां कोई राशि किसी पिछले वर्ष के लिए अनुरक्षित किसी निर्धारिती के लेखों में क्रेडिट की पाई गई है, और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत के विषय में कोई स्पष्टीकरण न दे पाए या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी के मतानुसार संतोषजनक न हो, तो इस प्रकार क्रेडिट की गई राशि, उस पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित की जा सकेगी।

मामला I सीआईटी प्रभार : सीआईटी, गुरुग्राम  
स्थिति : फर्म  
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 5.00 करोड़ के अस्पष्टीकृत क्रेडिट को वापस जोड़ने के बजाय अस्पष्टीकृत क्रेडिट के लिए निर्धारिती की आय में ₹ 3.50 करोड़ जोड़े। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 69.04 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि ₹ 25 लाख की वृद्धि करने के द्वारा अगस्त 2018 में धारा 154 के तहत त्रुटि को आंशिक रूप से सुधारा गया और शेष भाग का धारा 147 के तहत पुनः निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय/आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।*

मामला II सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-19, मुम्बई  
स्थिति : व्यष्टि  
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 5.88 करोड़ की अस्पष्टीकृत आय को वापस जोड़ने के बजाय अस्पष्टीकृत आय के प्रति निर्धारिती की आय में ₹ 0.84 करोड़ वापस जोड़े, जैसे कि निर्धारण आदेश में चर्चा की गई है। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 2.28 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 5.04 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को फरवरी 2019 में धारा 154 के तहत सुधारा गया। हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

#### 4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ₹ 24.88 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार नौ मामलों में आय के अधिक निर्धारण को पाया। हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं।

धारा 143(3) यह प्रावधान करती है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि के सही निर्धारण और कर या प्रतिदाय की सही राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जैसा भी मामला हो।

**मामला I सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-10, दिल्ली**  
**स्थिति : व्यष्टि**  
**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 18.86 लाख के उदग्रहण योग्य ब्याज के बजाय धारा 234सी के तहत ₹ 5.09 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 4.90 करोड़ के ब्याज का अधिक उदग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि मार्च 2019 में अपीलीय आदेश के प्रभाव को अनुमति देते समय धारा 234सी के तहत ब्याज को ₹ 5.09 करोड़ से ₹ 0.05 लाख तक कम किया गया।* हालांकि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय निर्धारण अधिकारी ने ₹ 18.86 लाख के ब्याज के उदग्रहण के बजाय धारा 234सी के तहत ₹ 0.05 लाख पर ब्याज का उदग्रहण किया। इसके अलावा मंत्रालय/आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

**मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-3, जयपुर**  
**स्थिति : फर्म**  
**निर्धारण वर्ष : 2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 1.61 करोड़ के बजाय ₹ 2.63 करोड़ पर निर्धारित की गई आय को अपनाया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 32.33 लाख के कर के अधिक प्रभार सहित ₹ 1.02 करोड़ तक की आय का अधिक निर्धारण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और जून 2020 में धारा 154 के तहत गलती को सुधारा।*

#### 4.6 सिफारिशें

(i) कर और अधिभार की गलत दरों के लागू करने, ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों की कमजोरी के बिन्दु हैं जिन्हें संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) जबकि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों में सुधार आरंभ करने के लिए कार्रवाई की है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए निदर्शी मामलों में ये केवल कुछ ही हैं। सभी निर्धारणों के संपूर्ण यूनिवर्स में, गैर-संवीक्षा निर्धारण सहित, भूल या चूक की ऐसी त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी को न केवल

अपने निर्धारणों पर दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक पूर्णतः सुरक्षित आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।

(iii) सीबीडीटी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या पाई गई "त्रुटियों" के मामले, भूल या चूक की त्रुटियां हैं और यदि ये चूक की त्रुटियां हैं तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।



नई दिल्ली  
दिनांक: 6 अगस्त 2021

(मौनिका वर्मा)  
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली  
दिनांक: 23 अगस्त 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक




परिशिष्ट





परिशिष्ट 1.1 (संदर्भ पैराग्राफ 1.6)

कर प्रशासन प्रक्रिया



1. सीपीसी-टीडीएस (केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र-स्रोत पर कर संग्रहण), बैंको, कटौतीकर्ताओं, निर्धारण अधिकारियों (एओ) और कर पेशवरों सहित विभिन्न स्रोतों से सूचना का मिलान और सह-संबंधित करता है।
2. ओएलटीएएस (ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली), सभी प्रकार के करदाताओं से प्रत्यक्ष कर के संग्रहण, लेखांकन और प्राप्तियों और भुगतान की रिपोर्टिंग की, बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन एक प्रणाली है।
3. सीपीसी-आईटीआर (केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र- आय का रिटर्न), आयकर रिटर्न (आईटीआर) की बल्क प्रसंस्करण के लिए शीघ्रता से निर्धारिती को देय प्रतिदाय या कर भुगतान को निर्धारित करता है।
4. इनसाइट पोर्टल, काले धन और कर अपवंचन के प्रति डेटा माइनिंग, अनुसंधान और विश्लेषण का उपयोग करता है और सीएएसएस (कम्प्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन) चयन के लिए इनपुट उपलब्ध कराता है।
5. एनएसडीएल (राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार लिमिटेड), टिन-सुविधाओं (टिन-एफसी) और पैन केन्द्रों की उसकी चेन के माध्यम से पैन आवेदनों को स्वीकार करता है और पैन जारी करता है।
6. करदाताओं को अगामी वितरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सीएमपी ब्रांच का सीपीसी/एओ द्वारा उत्पन्न प्रतिदाय का सुविधा संचरण।
7. आईटीबीए (आयकर व्यवसायिक अनुप्रयोग), पेपर रहित इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण को सृजित करने और आयकर विभाग की विभिन्न कार्यप्रणालियों की पहुँच हेतु सिंगल यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराने वाला एक व्यवसायिक अनुप्रयोग है।

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.4)

राज्य	2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयन की गई इकाइयों में पूर्ण किए गए निर्धारण	2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारण	2019-20 के दौरान उठाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	आईएपी द्वारा देखा गया निर्धारण जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई गई	प्रतिशतता जहां आईएपी द्वारा लेखापरीक्षा के बाद लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई गई
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	26,514	16,441	1,275	231	18.12
असम	4,327	4,069	269	8	2.97
दिल्ली	42,998	40,112	2,074	35	1.69
गुजरात	8,486	7,868	575	8	1.39
यूटी जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूटी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा	31,710	23,199	1,329	84	6.32
कर्नाटक और गोवा	8,881	8,301	639	75	11.74
केरल	4,768	4,638	434	114	26.27
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	31,721	24,232	1,319	55	4.17
महाराष्ट्र	89,383	41,731	2,195	62	2.82
ओडिशा	3,667	3,322	368	13	3.53
राजस्थान	10,488	10,382	430	12	2.79
तमिलनाडु	27,257	23,903	2,285	94	4.11
उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड	23,576	22,871	747	2	0.27
पश्चिम बंगाल	34,161	32,271	2,254	12	0.53
<b>कुल</b>	<b>3,47,937</b>	<b>2,63,340</b>	<b>16,193</b>	<b>805</b>	<b>4.97</b>

## परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.3)

मंत्रालय को भेजे गए डीपी के संबंध में अभ्युक्तियों का श्रेणीवार विवरण		
उप श्रेणी	मामले	टीई (₹ करोड़ में)
<b>क. निर्धारणों की गुणवत्ता</b>	<b>300</b>	<b>1,144.58</b>
क. आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियां	39	291.17
ख. कर की दर, अधिभार आदि का गलत आवेदन	50	118.40
ग. रिटर्न के प्रस्तुतीकरण में देरी, कर के भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/शास्ति का गैर/कम उदग्रहण	198	668.24
घ. प्रतिदाय पर अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज	6	24.08
ड. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियां	7	42.69
<b>ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन</b>	<b>175</b>	<b>2,972.12</b>
क. अनियमित रियायतें/कटौतियां/छूट/राहत/मैट क्रेडिट	30	1,733.64
ख. अनियमित रियायतें/कटौती/ट्रस्टों/फर्मों/समितियों को दी गई राहत	3	2.85
ग. व्यक्तियों को दी गई/अनियमित रियायतें/कटौती राहत	2	1.66
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	42	188.86
ड. मूल्यहास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएं	98	1,045.11
<b>ग. त्रुटियों के कारण निर्धारण से छुपी हुई आय</b>	<b>80</b>	<b>8,639.39</b>
क. मैट/टोनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत	8	234.18
ख. सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारण न की गई/कम निर्धारित आय	17	1069.86
ग. पूंजीगत लाभों की गलत वर्गीकरण और संगणना	10	7015.68
घ. आय की गलत संगणना	19	19.36
ड. टीडीएस/टीसीएस के कार्यान्वयन प्रावधानों में त्रुटियां	7	13.89
च. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट	10	249.41
छ. आर्म्स लेंथ प्राईस का गलत अनुमान	9	37.01
<b>घ. अन्य</b>	<b>23</b>	<b>137.04</b>
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	23	137.04
<b>कुल</b>	<b>578</b>	<b>12,893.13</b>

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.4.6)

वि.व. 2017-18 से वि.व. 2019-20 के दौरान अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का विवरण					
राज्य	वि.व. 2019-20 में मांगे गए अभिलेख	वि.व. 2019-20 में अप्रस्तुत	वि.व. में अप्रस्तुत अभिलेखों का प्रतिशत		
			2019-20	2018-19	2017-18
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	13,508	723	5.35	5.05	5.26
असम	4,327	258	5.96	2.16	0.59
बिहार	902	21	2.33	5.05	6.81
छत्तीसगढ़	6,959	46	0.66	0.00	0.30
दिल्ली	43,380	2,889	6.66	9.32	21.45
गोवा	796	1	0.13	2.37	2.46
गुजरात	8,485	618	7.28	2.26	2.40
हरियाणा	13,577	192	1.41	0.68	4.77
हिमाचल प्रदेश	430	36	8.37	1.56	5.24
जम्मू व कश्मीर; और लद्दाख के यूटी	1,016	0	0.00	10.66	1.26
झारखंड	2,008	17	0.85	1.46	2.03
कर्नाटक	8,085	252	3.12	2.91	5.64
केरल	5,056	314	6.21	3.22	5.01
मध्य प्रदेश	18,324	533	2.91	3.75	11.67
महाराष्ट्र	46,471	1,763	3.79	4.86	8.59
ओडिशा	3,989	345	8.65	5.99	6.94
पंजाब	6,578	104	1.58	2.35	5.08
राजस्थान	10,513	106	1.01	4.82	9.74
तमिलनाडु	32,595	8,618	26.44	12.31	11.38
यूटी चंडीगढ़	2,013	83	4.12	1.11	0.06
उत्तराखंड	2,097	11	0.52	0.55	1.56
उत्तर प्रदेश	17,653	305	1.73	1.60	1.67
पश्चिम बंगाल	31,177	2,153	6.91	5.11	6.49
<b>कुल</b>	<b>2,79,939</b>	<b>19,388</b>	<b>6.92</b>	<b>4.98</b>	<b>8.27</b>

संक्षिप्त रूप	
एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
अधिनियम	आयकर अधिनियम, 1961
एआई	निर्धारित आय
एआईआर	वार्षिक सूचना रिटर्न
एएलपी	आर्म्स लेंथ प्राइस
एओ	निर्धारण अधिकारी
एओपी	व्यक्तियों का संघ
एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीएसएसएस	कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन
सीबीडीटी	केन्द्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी (ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीपीसी-आईटीआर	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - आयकर रिटर्न
सीपीसी-टीडीएस	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - स्रोत पर कर की कटौती
सीटी	निगम कर
डीसीआईटी	उप-आयकर आयुक्त
डीजीआईटी (प्रणाली)	महानिदेशक, आयकर (प्रणाली)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटी	प्रत्यक्ष कर
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियां
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण
आईटीबीए	आयकर व्यवसायिक एप्लीकेशन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर/रिटर्न	आयकर रिटर्न
जेसीआईटी	संयुक्त आयकर आयुक्त
एलटीसीजी	दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ
पैन	स्थायी खाता संख्या
प्र. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
प्र. सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त

2021 की प्रतिवेदन सं. 8 (प्रत्यक्ष कर)

एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालयी प्रक्रिया की नियम पुस्तिका
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूमि भंडार लिमिटेड
ओएलटीएस	ऑनलाइन कर लेखाकरण प्रणाली
प्र. डीजीआईटी	प्रधान महानिदेशक आयकर
नियमावली	आयकर नियमावली, 1962
एसटीटी	प्रतिभूति संव्यवहार कर
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहित कर
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीपी	हस्तांतरण मूल्य निर्धारण
टीपीओ	हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी

---



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)